पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125

जून, 2017

मुख्य संरक्षक

श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री वीरेन्द्र गुप्ता
महाप्रबंधक

संपादक व प्रकाशक

श्री राजिंदर सिंह बेक्टर
सहायक महाप्रबंधक
(राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री राजीव कुमार राय
वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

डॉ. नीरू पाठक
प्रबंधक

दीपक साव एवं रूप कुमार
राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : hindipatrika@psb.co.in

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

([illegible])

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस

8/33ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015
फोन : 98100 87743

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल / विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	ऐसे बना हमारा बैंक	4-5
5.	बैंकों में बढ़ता जोखिम	6-7
6.	कार्टून कोना	7
7.	स्मार्ट सिटी और हमारा आंचलिक कार्यालय, गांधी नगर	8-10
8.	हिंदी/पंजाबी कार्यशालाएँ	11
9.	राजभाषा तब और अब	12-13
10.	अनाम रिश्ता	14-17
11.	व्हाट्सएप और हमारा समाज	18-19
12.	गोल्ड लोन योजना	20
13.	कार्मिक, लोक शिकायतें......	21
14.	पुण्य स्मरण : श्री गुरु अर्जुनदेव जी	22-23
15.	नराकास गतिविधियाँ	24
16.	नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव	25
17.	मधुबनी चित्रकला : विरासत में मिली एक अमूल्य निधि	26
18.	सशक्त महिला : सशक्त समाज	27
19.	डिजिटलीकरण और पारदर्शी अर्थव्यवस्था	28-31
20.	ज़रा सोचिए....	31
21.	काव्य मंजूषा	32
22.	ग्राहक के मुख से	33
23.	प्रादेशिक भाषा : योग दिवस पर विशेष	34-35
24.	इंटरनेट बैंकिंग	36-38
25.	बैंक और उसके विशेष ग्राहक	39-43
26.	आपकी कलम से	44

आपकी कलम से....

आपके बैंक की पत्रिका 'अंकुर' का 'सीमावर्ती क्षेत्र विशेषांक' प्राप्त हुआ। पूर्व से पश्चिम तक देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामरिक जानकारियों से परिपूर्ण ये विशेषांक काफी रोचक है। पश्चिमी सीमांत इलाकों की समस्याओं और देश के बँटवारे से जुड़े लेखों में दर्द स्पष्टतः झलकता है। पूर्वोत्तर राज्यों की खूबसूरती, स्थानीय लोगों एवं जनजातियों के बारे में रोचक जानकारी दी गई है। 'ईमा-कथियल' का बाज़ार महिला सशक्तिकरण का सर्वोत्तम उदाहरण है। आशा करती हूँ, इस पत्रिका के ऐसे ही रुचिकर विशेषांक आगे भी पढ़ने को मिलेंगे।

राजभाषा के क्षेत्र में आपके बैंक की उपलब्धियों एवं पुरस्कारों हेतु आपको बधाई।

उषा अनन्तसुब्रमण्यन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

हमारे बैंक के माननीय प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को संबोधित आपके पत्र के साथ आपके बैंक द्वारा प्रकाशित तिमाही हिंदी पत्रिका "राजभाषा अंकुर" का "सीमावर्ती क्षेत्र विशेषांक" प्राप्त हुआ। धन्यवाद। पत्रिका की पृष्ठ सज्जा, मुद्रण एवं विषय चयन उत्कृष्ट है। पत्रिका अत्यंत आकर्षक और विविधता से परिपूर्ण है।

श्री राजिंदर सिंह बेवली का आलेख "त्रासदी... मेरे परिवार की" पत्रिका का विशेष लेख है। भारत-पाकिस्तान बँटवारे की त्रासदी, जैसे उनके परिवार के पन्नों के साथ जीवंत हो उठी है। लेखक की लेखनी इतनी सजीव है कि जैसे वह घटनाक्रम आंखों के सामने से गुज़र जाता है और उस त्रासदी से हमारी भी आँखें नम हो उठती हैं।

पत्रिका के अन्य लेख और रचनाएं भी भारत के विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों को अपने में संजोए हुए हैं, इस प्रकार इन विभिन्न भू-भागों और वहां की संस्कृतियों को एक साथ संजोने का आपका प्रयास और परिश्रम सराहनीय है। पत्रिका के सभी लेख सारगर्भित और ज्ञानवर्धक हैं। कविताओं व लेखों के साथ छायाचित्रों व रंगों का संयोजन अद्वितीय है। पत्रिका में विविध आयामों यथा लेख, स्थायी स्तंभ, कविताएं, गतिविधियों की झलक, शोधपरक लेख इत्यादि को सम्मिलित कर इसे संपूर्ण रूप दिया गया है।

स्तरीय पत्रिका के लिए बधाइयां और आगामी अंकों के श्रेष्ठ प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं।

मनोज डिम्बाल
महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन व राजभाषा
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे

हमें आपके बैंक की तिमाही राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का मार्च 2017 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद।

यह सीमावर्ती विशेषांक भारत जैसे विशाल देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विभिन्न परंपराओं, संस्कृतियों के बारे में रूबरू कराता है, पूर्वोत्तर भारत की मनोरम छवि को उजागर करते आलेख 'सात बहनों की दास्तां', 'कोहिमा ईपिटफ' और 'ईमा कथियल' पठनीय हैं। जहां बँटवारे के दर्द को बयाँ करता आलेख "त्रासदी मेरे परिवार की" और पाकिस्तान वाले सीमावर्ती क्षेत्र "झंग" का दर्द विभाजन के समय की भयानक त्रासदी की याद दिलाते हुए मन को शोकाकुल कर देते हैं वहीं अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित 'तवांग' मठ की यात्रा पर आधारित आलेख अनुपम वादियों की सैर कराता हुआ मन में आस्था, विश्वास एवं शांति को जागृत करता है।

विभिन्न राजभाषा गतिविधियों और विविध कलेवर को अपने में समाहित करता हुआ यह अंक कुछ अलग हटकर प्रस्तुत करने की दिशा में सार्थक प्रतीत होता है, इसके लिए संपादक मण्डल के सभी सदस्य हार्दिक बधाई के पात्र हैं।

डॉ. जवाहर कर्नावट
उप महाप्रबंधक (राजभाषा एवं शिक्षण संसाधन केन्द्र)
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

प्रिय साथियो,

''राजभाषा अंकुर'' पत्रिका के माध्यम से आपसे संवाद स्थापित करने का मेरा यह पहला अवसर है। मेरे लिए ये पल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार समकालीन साहित्य उस समाज का आईना होता है, उसी प्रकार पत्रिका भी, किसी संस्था विशेष की समग्र रूप में झलक दिखलाती है। ''राजभाषा अंकुर'' पत्रिका भी इसी विशेषता को संजोए न केवल विविध साहित्यिक विधाओं को प्रकाशित करती है बल्कि बैंक की विभिन्न गतिविधियों से रू-ब-रू भी करवाती है। पत्रिका की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह शत-प्रतिशत बैंक के स्टाफ-सदस्यों की भागीदारी का संपूर्ण फल है।

प्रस्तुत अंक में वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखकर हमने विभिन्न विधाओं संबंधी लेखों को विशेष रूप से समाहित करने का प्रयास किया है। 24 जून को बैंक का स्थापना दिवस था, डॉ. नीरू पाठक के लेख ''ऐसे बना हमारा बैंक'' में बैंक की स्थापना संबंधी भरपूर जानकारी दी गई है। इस अंक में जहाँ एक ओर माननीय प्रधानमंत्री जी की स्मार्ट सिटी की संकल्पना श्री नीरज जैन के लेख ''स्मार्ट सिटी में हमारा आंचलिक कार्यालय'' में आपको फलीभूत होती नज़र आएगी वहीं श्री कमेश सेठी का ''बैंकों में बढ़ता जोखिम'' तथा श्री जगमोहन सिंह का ''बैंकों के विशेष ग्राहक'', दोनों ही लेख आप सब के लिए ज्ञानवर्धक होंगे। पत्रिका में आरंभ किया गया नया स्तंभ ''ग्राहक के मुख से'' बैंक के ग्राहकों को भी पत्रिका से जोड़ रहा है, यह स्तंभ बैंक के ग्राहक से रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। पीयूष कुमार का ''कार्टून कोना'' भी एक विशेष संदेश देता दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त काव्य-मंजूषा, कहानी तथा अन्य साहित्यिक विधाओं से भरपूर यह अंक अत्यंत रुचिकर है। पत्रिका के बहुआयामी विकास के लिए आप सभी की सहभागिता अपेक्षित है।

आशा है 'राजभाषा अंकुर' का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका आपको कैसी लगी, कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं।

(वीरेन्द्र गुप्ता)
महाप्रबंधक (राजभाषा)

बैंक के स्थापना दिवस 24 जून पर विशेष

ऐसे बना हमारा बैंक

डॉ. नीरू पाठक

किसी भी संस्था के लिए उसका इतिहास एवं संस्कृति उसके स्वयं के लिए एक अनमोल एवं अक्षुण्ण संपत्ति होती है किंतु कामयाबी एवं लोकप्रियता के पीछे किन विशिष्ट व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, किन परिस्थितियों में संस्था की नींव डाली गई तथा उसके पश्चात एक छोटे पौधे से विशाल वृक्ष बनने की यात्रा में आयी चुनौतियों एवं समय के साथ आए उतार-चढ़ाव को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। इसे जानकर मैं और आप, हम सभी अपनी संस्था पर गर्व महसूस करेंगे, ऐसा मेरा मानना है।

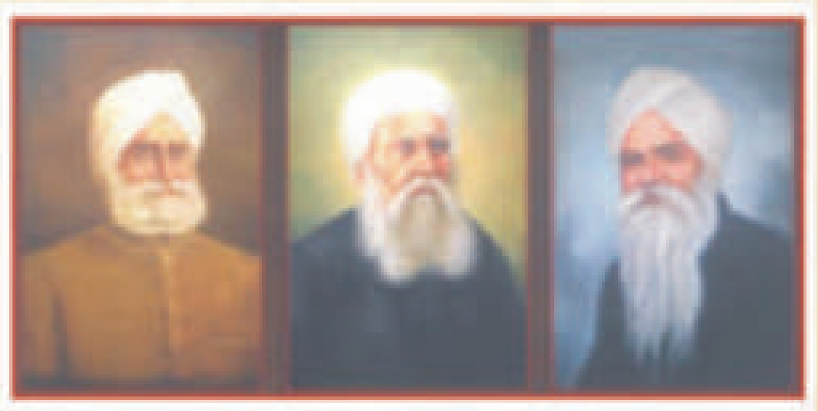

बैंक की पृष्ठभूमि

यदि हम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय का अध्ययन करें तो पाएंगे कि अंग्रेजी शासन से त्रस्त संपूर्ण भारतवर्ष जोकि कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आर्थिक क्षेत्र के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अत्यंत पिछड़ गया था।

आज का समृद्धशाली पंजाब भी इन विसंगतियों से अछूता नहीं था। सिख कौम धर्म और शिक्षा दोनों ही क्षेत्रों में पिछड़ गई थी। कौम में जागरण की आवश्यकता थी। इसलिए वर्ष 1901 में बैसाखी के दिन अमृतसर के कुछ बहुप्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों ने एकजुट होकर 22 सदस्यों की एक उप समिति बनाई। इस समिति का प्रमुख कार्य जत्थेबंदी की रूपरेखा तैयार करना था। केंद्रीय जत्थेबंदी के गठन का कार्य एक उप समिति को सौंपा गया, जिसका नाम चीफ खालसा दीवान प्रबंधक समिति रखा गया। चीफ खालसा दीवान प्रबंधक समिति का प्रथम समागम 30 अक्तूबर 1902 को दिवाली वाले दिन अमृतसर में हुआ। जुलाई 1904 में यह संस्था चीफ खालसा दीवान के नाम से पंजीकृत हुई तथा जिसने सर्वप्रथम बौद्धिक क्षेत्र में विकास को ध्यान में रखते हुए खालसा कॉलेज की स्थापना की। किंतु केवल कॉलेज की स्थापना ही पर्याप्त नहीं थी, उसको गति देना भी आवश्यक था। 1907 में सिंध प्रांत में खालसा यतीमखाना भी बनाया गया और इस प्रकार पंजाब के साथ सिंध क्षेत्र में भी सामाजिक सुधार के कार्य प्रारंभ किए गए। ऐसे समय में कॉलेज तथा अन्य सामाजिक संस्थानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सर सुंदर सिंह जी मजीठिया की अगुवाई में कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी एकजुट हो, प्रयासरत हो गई तथा इसके साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति वाले विद्वान, महान चिंतक, लेखक तथा समाज-सुधारक यथा भाई जोधा सिंह, प्रोफेसर तेजा सिंह, प्रोफेसर हरकिशन सिंह ने भी अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया। सन् 1904 में बैसाखी वाले दिन कॉलेज की नई इमारत का शिलान्यास पंजाब के लेफ्टीनेंट गवर्नर सर चार्ल्स ने मिंटगुमरी में किया। जिसमें न केवल पंजाब के राजा-महाराजाओं और समाज के प्रतिष्ठित वर्ग ने बल्कि सिख फौजियों, किसानों ने भी अपना पूर्ण सहयोग तथा योगदान दिया। जब शिक्षा में धर्म भी जुड़ जाता है, तो उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। खालसा कॉलेज की सफलता और विस्तार लगातार बढ़ने लगा और पंजाब की हदों को पार कर, सिंध तक पहुँच गया। सन् 1906 में इस कार्य को गति देने का जिम्मा चीफ खालसा दीवान ने अपने ऊपर लिया तथा सिंध ब्लूचिस्तान प्रचारक उप समिति बनाई

गई, जिसमें 11 सदस्य थे। सभी सदस्य अलग-अलग स्थानों पर जाकर लोगों में धर्म तथा शिक्षा के महत्व को बताकर उन्हें जागृत करने का प्रयास करते थे। इसका असर भी हुआ, लोगों में नए उत्साह का संचार हुआ। इसे देखते हुए वर्ष 1907 में कराची में हो रही मुस्लिम एजुकेशन कांफ्रेंस में प्रचार समिति की ओर से एक जत्था भी भेजा गया। कॉन्फ्रेंस से प्रभावित होकर सर सुंदर सिंह मजीठिया (बैंक निदेशक) ने अमृतसर में अपने घर पर ही जनवरी 1908 में जाने माने नेताओं की मीटिंग बुलाई जिसकी अध्यक्षता सरदार तरलोचन सिंह जी (बैंक के पहले प्रबंध निदेशक) ने की, और इस प्रकार सर्वसम्मति से सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना करने का दृढ़ संकल्प लिया गया तथा मात्र तीन माह के पश्चात पंजाब के प्रसिद्ध शहर गुजरांवाला में पहली सिख एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया गया।

कॉन्फ्रेंस की सफलता को देखते हुए इस कार्य को निरंतर जारी रखने के लिए सिख एजुकेशन समिति की स्थापना की गई। इस सफलता के पश्चात नेताओं ने चिंतन किया कि शिक्षा के पश्चात अब आर्थिक क्षेत्र में पंजाब की सिख कौम की उन्नति के लिए कार्य किया जाए। आर्थिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए आवश्यक था, कि व्यापार तथा खेती-बाड़ी में तरक्की की जाए जिसके लिए गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर कुछ नवीन योजनाएं बनाने की तथा उनपर पूरी ईमानदारी से कार्य करने की आवश्यकता भी महसूस हुई। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए

"अपना कोई बैंक हो" के पवित्र विचार को मूर्त रूप देते हुए ही पंजाब व सिंध प्रांत जहाँ शिक्षा तथा आर्थिक तरक्की के लिए बढ़-चढ़कर कार्य किया जा रहा था, को ध्यान में रखते हुए **'दि पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटड'** नाम से बैंक की स्थापना की गई।

बैंक की स्थापना

24 जून 1908 को पवित्र नगरी अमृतसर में गुरु महाराज की छत्र-छाया में इस बैंक का शुभारंभ किया गया। बैंक को चलाने के लिए सरदार तरलोचन सिंह जी को पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। आधुनिक पंजाबी साहित्य के पितामह भाई वीर सिंह जी, सर सुंदरसिंह जी मजीठिया व सरदार तिरलोचन सिंह जी ने बैंक को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। इन तीनों मित्रों ने अपनी मेहनत लगन और मन वचन और कर्म से बैंक को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया और आशातीत सफलता प्राप्त की।

उस समय के समाचार पत्र **खालसा समाचार** अमृतसर ने बैंक के उद्घाटन के समाचार को पत्र में विशेष स्थान दिया था, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है

"आज दिनांक 24 जून 1908, बुधवार को सिख समुदाय ने व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाया है आप पूछेंगे यह क्या है? इसका सीधा सा जवाब है कि व्यापारियों कारीगरों और किसानों की जरूरतों को पूरा करने हेतु एक खजाना घर खुला गया है। एक बैंक खोला गया है जिसमें अमीरों के घरों से धन पानी की तरह बहेगा और फिर यह राशि नहर, सहायक नदियों, धाराओं तथा नालों की तरह जरूरतमंद व्यापारियों, कारीगरों तथा किसानों के घरों तक पहुंचेगी। यदि सिक्खों ने अपने आर्थिक कल्याण के लिए इस अवसर का ईमानदारी पूर्वक उपयोग किया तो यह उनके आर्थिक पिछड़ेपन को अवश्य ही दूर करेगा और इससे गरीब तबके के लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप पूछेंगे कैसे? तो हम आपको बताएंगे कि आज प्रातः 8:00 बजे "दि पंजाब एण्ड सिंध बैंक लिमिटेड" का उद्घाटन हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ संपूर्ण हुआ। भाई सोहन सिंह जी ने अरदास की और फिर उन्होंने यहां एकत्रित लोगों को विस्तार पूर्वक बैंक के लाभ बताए। इसके बाद बैंक का कार्य शुरू हुआ। भाई सोहन सिंह जी ने कहा कि बैंक की स्थापना का मूल उद्देश्य उन लोगों, खासकर कारीगरों व्यापारियों तथा किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है, जिसके लिए उन्हें कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा।"

इस प्रकार सरकारी तौर पर 24 जून 1908 को हमारे बैंक का उद्घाटन हुआ और इसे जनता के लिए समर्पित किया गया।

प्रबंधक, प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

फूल बेचने वाले हाथों से खुशबू कभी नहीं जाती।

बैंकों में बढ़ता जोखिम

कामेश सेठी

आज बैंकों में सबसे बड़ी समस्या है बढ़ता हुआ जोखिम। वैसे तो बैंकों की कार्यशैली ही ऐसी है कि जोखिम का होना आवश्यक है क्योंकि सारा कार्य धनराशि से संबंधित है लेकिन इधर कुछ वर्षों से जोखिम बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब केवल ऋण तक ही जोखिम सीमित नहीं रह गया है बल्कि खाता खोलने से लेकर क्लीयरिंग चेक, KYC, लॉकर, नकली नोट, पुराने नोट, हवाला, FEM। और न जाने कितने तरह के कार्यों में जोखिम ही जोखिम है जिसका अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। बैंक के कर्मचारी एवं अधिकारी इन सब समस्याओं के आगे लाचार हैं क्योंकि इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इस समस्याएँ का सबसे बड़ा कारण है बैंक वालों को एक लचर, ढीले, चरमराए और अधूरी व्यवस्था के बीच कार्य करना होता है जो कि कभी भी किसी कर्मचारी या अधिकारी के कैरियर को समाप्त कर सकता है। नीचे कुछ उदाहरण लचर, अधूरी एवं खोखली व्यवस्था के हैं जिनके कारण जोखिम कई गुना बढ़ जाता है।

नकली दस्तावेज या पत्रावलियाँ :

(नकली दस्तावेज़ ख़ास कर मकान के पेपर अर्थात Title Deed) अभी तक अधिकतम राज्यों में रजिस्टर्ड बंधक की व्यवस्था कम मूल्यों में उपलब्ध नहीं है जिसके कारण गलत लोग मकान के नकली दस्तावेज़ बना कर लोन ले लेते हैं जिसकी पहचान करना अधूरी, खोखली व्यवस्था में अत्यधिक कठिन कार्य है।

बैंक स्टाफ शायद ही कभी किसी ग्राहक से धोखाधड़ी करता है। उल्टे ग्राहक ही बैंकों के साथ धोखाधड़ी करते पाए गए हैं लेकिन गिरफ्तारी बैंक स्टाफ की आसानी से हो जाती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, इत्यादि में बड़ी ही आसानी नाम पता इत्यादि का परिवर्तन हो जाता है और लोगों को धोखाधड़ी करने का मौका मिल जाता है। हैरानी की बात ये है कि ROC में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और ROC की तरफ से कोई भी सत्यापन नहीं होता है अर्थात उनका कोई भी कर्मचारी सत्यापन के लिए निर्धारित पते पर जा कर पूछताछ नहीं करता है।

अंतिम उपयोग :

एक और सबसे बड़ी समस्या है ऋण की सही उपयोगिता अर्थात जिस कारण से ऋण लिया गया है, उसका उपयोग उसी में होना चाहिए। छोटे ऋणों में तो संभव हो सकता है परंतु बड़े ऋण में सही उपयोगिता या end use का पता लगा पाना अत्यधिक जटिल कार्य है क्योंकि बैंक स्टाफ 24 घंटे किसी कंपनी के अंदर जा कर चौकीदारी तो नहीं कर सकता। फिर व्यवस्था में भ्रष्टाचार इस तरह से शामिल है कि कंपनी को उसके लिए रिश्वत कंपनी के खर्चे से ही देनी पड़ती है जिसके लिए ऋण का दुरुपयोग हो सकता है।

अभी हाल ही में एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि एक बैंक अधिकारी की दशा ठीक उसी प्रकार है जैसे जंगल में हिरण की, जो कि शिकारी एवं बाघ, शेर, चीता से घिरा होता है और कभी भी उसकी लीला समाप्त हो सकती है।

आज शिपिंग उद्योग, एयर लाइंस, स्टील, सीमेंट, इन्फ्रा, रियल इस्टेट, पॉवर इत्यादि सभी उद्योगों में जोखिम बहुत अधिक हो गया है और इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं हैं। आर्थिक उथल पुथल तो अर्थव्यवस्था में होती रहती है। आज देश के विकास में बैंक का सबसे बड़ा योगदान है। बैंकों के माध्यम से ही इतने बड़े बड़े उद्योग देश भर में लग पाए हैं जो कि देश के लिए धरोहर सिद्ध हो रहे हैं। उदाहरण के

लिए यदि बैंक किसी रोड प्रोजेक्ट को ऋण देता है और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद, कम टोल कलेक्शन की वजह से ऋण अदा करने में असमर्थ हो जाता है तो बैंक इसके लिए कहाँ से जिम्मेदार हो जाता है लेकिन निरीक्षण करने वाली संस्थाएं बैंकों को जिम्मेदार ठहराती हैं जो पूर्णतः गलत है। इस ऋण की वजह से ही आज देश को बेहतरीन सड़कें प्राप्त हो सकी हैं इस बात को भी नजर अंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बैंक कर्मचारी या अधिकारी देश के आर्थिक सिपाही होते हैं। इनको बेरहमी से गिरफ्तार किया जाना देश के लिए बेहद शर्म की बात है।

मनी लान्ड्रिंग :

ये तो चलो ऋण की बात हुई, अब बात करते हैं मनी लान्ड्रिंग की। एक खाता बैंक में खुलता है, उसमें पैसे जमा किए जाते हैं वह पैसा किस प्रकार से कमाया गया है या उसका स्रोत का पता लगाना एक व्यस्त बैंकर के लिए लगभग असंभव है। हाँ यह हो सकता है कि खाते में पैसे जमा करना ही बंद कर दिया जाए लेकिन इससे भी बैंक का काम नहीं चलता है। आखिर बैंकर की जिम्मेदारी कहाँ तक है इसका निर्धारण करना बहुत जरूरी है। जब भी कोई घटना घटती है, बैंकर ही दबोच लिया जाता है क्योंकि वह एक आसानी से मिल जाने वाला शिकार है।

क्लोनिंग चेक एवं अन्य डिजिटल जोखिम :

आजकल क्लोनिंग चेक की भीषण समस्या खड़ी हो गयी है खासकर क्लियरिंग हाउस या आर सी सी वाले अधिकारी बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। हालांकि अब समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है फिर भी यदा कदा गलत चेक पास हो ही जाता है जिससे न केवल बैंक को हानि हो रही है बल्कि बैंक कर्मचारियों या अधिकारियों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ती है।

कार्टून कोना

पीयूष कुमार, आंचलिक कार्यालय, गोरखपुर

उपरोक्त के अलावा नेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इत्यादि में भी ढेरों जोखिम हैं जिसमें रोजाना कोई न कोई धोखाधड़ी की घटना हो ही जाती है और बैंक को हानि का सामना करना पड़ता है।

इन सभी जोखिमों को देखते हुए आज बैंक के सभी अधिकारी इतने सतर्क हो गए हैं कि किसी पत्र पर हस्ताक्षर करने से डरने लग गए हैं, जिसका असर बैंक की कार्यशैली पर भी स्पष्ट दिखने लग जाता है और काम करने की गति बहुत धीमी हो जाती है जो देश और आर्थिक जगत के लिए पूर्णतः हानिकारक है।

आज इस बात की आवश्यकता है कि हम बैंकर की जिम्मेदारी इस तरह तय करें जिससे कि कानून व्यवस्था के साथ ताल-मेल सही हो अर्थात बिना किसी छानबीन के किसी भी अधिकारी की गिरफ्तारी करने से पहले पुलिस विचार करे और नरम लक्ष्य या Soft Target समझकर तुरंत गिरफ्तार न करे या फिर anticipatory bail की व्यवस्था केवल बैंकर के लिए अलग से कर दी जाए, जो कि कई राज्यों में नहीं है।

अब वक्त आ गया है कि हम इस बात पर मनन करें कि कैसे बैंक की कार्य प्रणाली में जोखिम कम हो और कानून व्यवस्था में सुधार आए।

आंचलिक प्रबंधक, लखनऊ

किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करना वास्तविक अच्छाई है।

स्मार्ट सिटी और हमारा आँचलिक कार्यालय गांधी नगर

नीरज जैन

जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिनांक 17.04.2017 को बैंक के आँचलिक कार्यालय, गांधी नगर का उद्घाटन हमारे बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदर बीर सिंह (आई.ए.एस.) जी के कर-कमलों द्वारा किया गया था। उद्घाटन के पलों को ऐतिहासिक बनाते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने गिफ्ट सिटी में बने बैंक कार्यालय की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि गिफ्ट सिटी की भव्य और हाई टेक इमारत में पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कार्यालय होने से निश्चय ही बैंक ने नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर ली हैं।

आइए देखें क्या हैं खासियतें गिफ्ट सिटी की :

भारत की पहली स्मार्ट सिटी का स्वप्न भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री एवं गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देखा था। स्वप्न में शामिल था एक ऐसा फाइनेंशियल हब अर्थात वित्तीय केंद्र बनाना, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हों। प्रधानमंत्री जी की इसी महत्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है गुजरात राज्य के गांधीनगर में विकसित हो रही भारत की पहली स्मार्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT CITY) के रूप में। गिफ्ट सिटी योजना की शुरुआत की गई थी, वर्ष 2011। में और इस योजना के समापन का वर्ष निर्धारित किया गया है, वर्ष 2021। सत्तर हज़ार करोड़ की लागत से विकसित हो रही स्मार्ट सिटी (गिफ्ट सिटी) में वर्तमान में

वर्तमान में ही गिफ्ट सिटी में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करने की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। यहां प्रत्येक शुक्रवार को गिफ्ट सिटी की ओर से कार्यालयों के अधिकारियों कर्मचारियों के मनोरंजन हेतु खेल एवं अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापों के आयोजन भी किए जाते हैं। जिम, खेलकूद आदि की सुविधाओं के साथ - साथ आधुनिक शहर के रूप में गिफ्ट सिटी की अन्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-

दो 28 मंजिला इमारतें साकार रूप ले चुकी हैं। इन्हीं दो इमारतों में से गिफ्ट वन इमारत की तीसरी मंजिल पर हमारे बैंक का आंचलिक कार्यालय दिनांक 17.04.2017 को शुरू किया गया। शुभारंभ के दिन आंचलिक कार्यालय के शोभा देखते ही बनती थी।

भविष्य में गिफ्ट सिटी एक अत्यंत ही आधुनिक शहर के रूप में उभर कर सामने आएगी जिसके अंतर्गत शामिल होंगी.... अनेक बहुमंजिला इमारतें, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, अस्पताल, बच्चों की शिक्षा हेतु स्कूल, सर्वसुविधायुक्त आवासीय कॉलोनियां एवं कार्य करने हेतु समुचित अनुकूल वातावरण युक्त कार्यालय परिसर। इस अत्याधुनिक शहर में बाधारहित 24 घण्टे बिजली आपूर्ति के साथ-साथ सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शहर में कहीं भी कोई बिजली की तार दिखाई नहीं देती अर्थात सभी कुछ (भूमिगत) अंडरग्राउंड है।

गिफ्ट सिटी में साफ - सफाई :

गिफ्ट सिटी में साफ-सफाई का बहुत ही अच्छा इंतजाम है। यहाँ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध (बैन) है। हमारे बैंक परिसर में लिफ्ट के पास दो बॉक्स लगे हैं जो सीधे पाइपों से जुड़े हुए हैं। एक का रंग लाल है और दूसरे रंग हरा है। लाल रंग वाले ढक्कन में सूखा कचरा (जैसे ऑफिस के डस्ट बिन से या झाडू लगाते हुए निकाला गया कचरा) और हरे रंग वाले में गीला कचड़ा (जैसे खाने-पीने आदि का कचरा) डाला जाता है। उसके

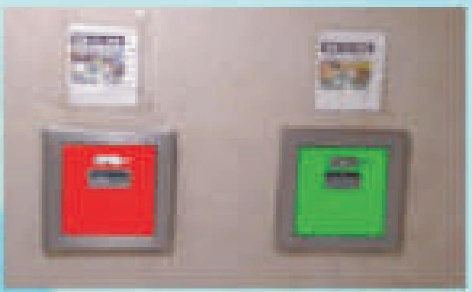

बाद किसी कार्यालय को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारा इंतजाम ऑटोमैटिक है और कहीं भी कचरे या गंद या ढेर दिखाई नहीं पड़ता। अर्थात स्वचालित तरीके से कचरा निपटान किया जाता है।

गिफ्ट सिटी में आरओ वॉटर सुविधा गिफ्ट सिटी के किसी भी कार्यालय में कहीं भी आप पानी की बोतलें या आरओ मशीनें नहीं देखेंगे। पूरे

भवन में दो पाइपें हैं। एक पाइप में आरओ पानी आता है और दूसरी में सामान्य पानी। अतः आप 24 घंटे स्वच्छ आरओ जल का सेवन कर सकते हैं।

गिफ्ट सिटी टेंशन फ्री :

गिफ्ट सिटी में काम करने वालों के लिए फन फ्राइडे का अपना ही आनंद है। हर शुक्रवार को स्टाफ के मनोरंजन व उसे खुशहाल रखने के बहुत से कारण बनाए गए हैं। हर शुक्रवार दोपहर को रिवॉल्विंग चेयर, गायन प्रतियोगिता, 6-6 ओवर का क्रिकेट मैच, अंत्याक्षरी, वन मिनट शो जैसे अनेक खेलों का आयोजन किया जाता है और यह सबकुछ बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के। बड़े-बड़े अधिकारी भी मनोरंजन के इन क्षणों का आनंद लेते देखे जा सकते हैं जो उनकी दफ्तर की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

गिफ्ट सिटी में खान-पान :

गिफ्ट सिटी में खान-पान की व्यवस्था भी बहुत ही बेहतर है। यहाँ की कैंटीन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भोजन रियायती लागत पर उपलब्ध कराया जाता है। यहां काम करने वाले मात्र 35/- रुपए में शाकाहारी बुफे का आनंद ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे थाली के रूप में भी मंगवा सकते हैं। आपके मोबाइल में हर सोमवार हफ्ते भर का मीनू आ जाएगा और आप अपने स्वाद के अनुसार अपना ऑर्डर दे सकते हैं। इसके साथ ही गिफ्ट सिटी की भविष्य की योजना में शामिल है, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर की एक 86 मंजिला इमारत जो संभवत भारत की सबसे ऊँची इमारत होगी। गिफ्ट सिटी योजना द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। गिफ्ट सिटी में हाल में प्रधानमंत्री जी ने भारत के सबसे तेज अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का शुभारंभ किया है जो विश्व के सभी स्टॉक एक्सचेंजों को टक्कर देने में समर्थ है। गिफ्ट सिटी के नाम से बन रही यह सिटी मजबूत वित्तीय केंद्र के रूप में सामने आएगी, जहाँ बैंकों, ब्रोकरों एवं अन्य उद्योगों के लिए टैक्स एवं अन्य प्रकार की छूट के प्रावधान भी है। आई एल एण्ड एफ एस इंजीनियरिंग एवं कन्स्ट्रक्शन की साझेदारी के तहत विकसित की जा रही इस स्मार्ट सिटी का लक्ष्य देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के अलावा दुबई और सिंगापुर जैसे विदेशी शहरों को भी टक्कर देने का है।

गिफ्ट सिटी द्वारा आधुनिक भारत के शहर की शुरुआत हो चुकी है एवं ऐसे आधुनिक भारत में हमारे बैंक के आंचलिक कार्यालय का होना सिद्ध करता है कि हमारा बैंक भी अब नए युग में प्रवेश कर चुका है। गिफ्ट सिटी में कार्यालय का होना बैंक के लिए न सिर्फ गर्व की बात है बल्कि एक नए उत्साह एवं उन्नति का परिचायक भी है।

अधिकारी, आंचलिक कार्यालय, गांधी नगर

हिंदी/पंजाबी कार्यशाला

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

आँचलिक कार्यालय, हरियाणा

आँचलिक कार्यालय, पटियाला

आँचलिक कार्यालय, लुधियाना

आँचलिक कार्यालय, अमृतसर

आँचलिक कार्यालय, भोपाल

आँचलिक कार्यालय, चंडीगढ़

आँचलिक कार्यालय, होशियारपुर

राजभाषा तब और अब

अजय अरोड़ा

भाषा द्वारा मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अपनी बात को कहने और दूसरों की बात को समझने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम होती ही है। मनुष्य जीवन में आने के बाद जब होश संभालता है, उसके माता-पिता उसे अपनी भाषा में बोलना सिखाते हैं और इसके बाद उसके जीवन में सीखने-सिखाने का कार्य भाषा के साथ प्रारंभ हो जाता है।

राजभाषा उस भाषा को कहते हैं, जो सरकारी काम-काज के लिए स्वीकार की गई हो और जो प्रशासन व जनता के बीच संपर्क का माध्यम हो।

प्राचीन-काल में भारत में संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाओं का राजभाषा के रूप में प्रयोग होता था। राजपूत काल में तत्कालीन भाषा हिंदी का प्रयोग राजकाज में किया जाता था। तदनंतर भारतवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद धीरे-धीरे हिंदी का स्थान फारसी और अरबी भाषाओं ने ले लिए। फिर भी कई राजपूत नरेशों व मराठा नरेशों के राज्यों में हिंदी का प्रयोग तो बराबर चलता ही रहा। आज भी इन राजाओं के दरबारों में हिंदी अथवा हिंदी-फारसी द्विभाषिक रूप में जारी किए गए फरमान (आदेश) बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। यह इस बात का द्योतक है कि हिंदी राज-काज करने के लिए सदैव सक्षम रही है। किंतु प्रशासन की केंद्रीय शक्ति के मुसलमान शासकों के हाथ में चले जाने के कारण हिंदी को तब यह अवसर प्राप्त नहीं हो सका कि सभी क्षेत्रों में उसकी क्षमता एवं सामर्थ्य का पूर्ण विकास हो पाता। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने शासन काल में तो तत्कालीन प्रचलित भाषा फारसी को प्रश्रय दिया या फिर बाद में वर्ष 1835 से लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी साम्राज्य का आधिपत्य कायम रखने की मंशा से अंग्रेजी को ही भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया।

इस स्वतंत्रता दिवस पर क्यों न ऐसा संकल्प लें कि हमारे चिंतन हमारे गौरव में सर्वोच्च स्थान पर राजभाषा हो। जब हमें राजभाषा हिंदी का प्रयोग करने में गर्व महसूस होगा तभी हम सही मायने में स्वतंत्र माने जाएंगे ।

जिसके फलस्वरूप न केवल भारतीय प्रशासन की भाषा ही बल्कि शिक्षा, व्यापार वाणिज्य व उद्योग की भी भाषा बन गई। और-तो- और, यह शिक्षित वर्ग के व्यवहार की भी भाषा बन गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम के साथ- साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी को राष्ट्र-भाषा व संपर्क-भाषा के रूप में प्रचलित करने के प्रयास प्रारम्भ किए। राष्ट्रीय जागरण के इस प्रयास के कारण ही हिंदी का उत्तरोत्तर प्रसार होने लगा। और यह मत व्यक्त किया जाने लगा कि देश के अधिकांश

लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा हिंदी को ही राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार किसी भी भाषा को राष्ट्र-भाषा बनाने के लिए निम्नलिखित पाँच गुण होने चाहिए :-

(1) उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सकें।

(2) वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिये सक्षम हो।

(3) वह अधिकांश भारत-वासियों द्वारा बोली जाती हो।

(4) सारे देश को उसे सीखने में आसानी हो।

(5) ऐसी भाषा को चुनते समय क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए।

उनके विचार थे कि सभी भारतीय भाषाओं में सर्वथा हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें ये सभी गुण मौजूद हैं। महात्मा गांधी व अनेक अहिंदी भाषी राष्ट्रीय नेताओं की ऐसी सोच होने के कारण ही जब भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न उठा तो विस्तृत विचार- मंथन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी विधिवत् भारत-संघ की राजभाषा बन गई।

किसी भी स्वाधीन देश के लिए जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र -गान का है, वही राजभाषा का भी है। किसी भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था नितान्त आवश्यक है। विश्व में सभी स्वतंत्र देश व नवोदित राष्ट्रों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका उत्थान उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से ही संभव है, जापान, जर्मनी, रूस इसके जीते- जागते उदाहरण हैं। परंतु, अफसोस कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी भारत में राजभाषा हिंदी की आज जो दशा है, वह किसी से छुपी नहीं है। और यह एक कड़वा सच है कि यद्यपि हमारी राजभाषा हिंदी है परंतु हमारा चिंतन आज भी विदेशी है। हम में से अधिकांश लोग आज भी बातचीत करते समय अंग्रेजी का प्रयोग करने में गौरव महसूस करते हैं और हिंदी के प्रयोग करने में लज्जा। जब तक इस मानसिकता का हम परित्याग नहीं करते, हिंदी को वह स्थान नहीं दे पाएंगे जो बनता है।

- अजय अरोड़ा
सहायक महाप्रबंधक,
शाखा सिकंदर, बेंगलुरु

24 जून... बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अरदास में सम्मिलित होते आंचलिक प्रबंधक, चंडीगढ़ श्री जी. एस. सरना व अन्य स्टाफ सदस्य।

आंचलिक कार्यालय, चंडीगढ़ स्तर श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी पर्व के अवसर पर छबील लगाई गयी। चित्र में आंचलिक प्रबंधक श्री बलबीर सिंह ग्रोवर, आंचलिक प्रबंधक श्री अमरजीत सिंह गुजराल तथा अन्य उच्चाधिकारी दिखाई दे रहे हैं।

अनाम रिश्ता

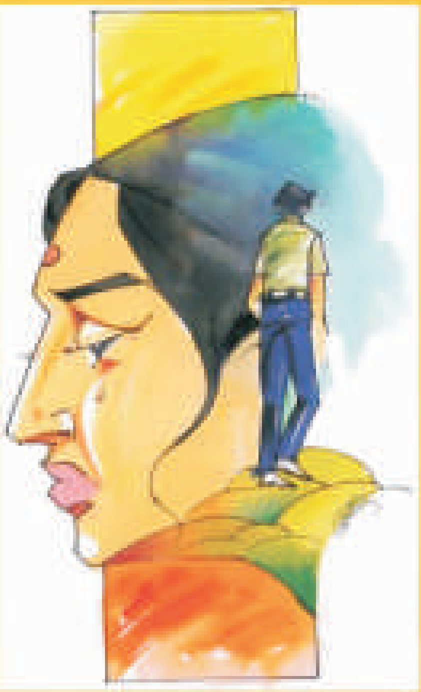

प्रदीप राय

हावड़ा स्टेशन पर वही जानी-पहचानी पीड़ा-दायक प्रतीक्षा... दोली-एक्सप्रेस को प्लेटफार्म पर लगने में अभी घंटों देरी थी। ट्रेन के इंतजार में समय काटना दूभर हो रहा था। पटना से अनारक्षित डिब्बे से रात भर का सफर जितना कष्टदायक नहीं था उससे कहीं ज्यादा यहां प्लेटफार्म पर समय बिताना। स्टेशन के खुले विशालकाय प्रतीक्षालय में चारों तरफ नज़र डाली... बैठने के लिए कहीं कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी। वहां कुर्सी पर बैठे-बैठे कोई ऊंघ रहा था तो कोई निद्रा-मग्न था। मैं वहीं प्रतीक्षालय में चहल कदमी करता रहा ताकि कुछ समय काट सकूं। कुर्सियों की कतारों के बीच की खाली जगह को भी लोगों ने चादर बिछा कर या पॉलिथीन बिछा कर चिर-निद्रित अवस्था में सोए पड़े थे। तीर्थयात्रियों का एक दल बारी-बारी से स्नानादि कार्य में व्यस्त था। कहीं किसी कोने में भिखारी-सरीखे लोग मैले-कुचैले कपड़ों में दुबके पड़े सुबह का इंतजार कर रहे थे। एक अपाहिज-सा बूढ़ा आते-जाते यात्रियों से रेंगते हुए भीख माँग रहा था। एक भूखा-नंगा बच्चा किसी यात्री के फेंके हुए रात का बचा खाना बड़े चाव से खा रहा था, मानो कई दिनों से उसने कुछ खाया न हो। कहीं स्तूप-काय लगेज की आड़ में इक्के-दुक्के कुली भी लेटकर शायद उसी सुबह का इंतजार कर रहे थे कब गाड़ियों की आवाजाही हो और उनका गुजर-बसर का जरिया निकल पड़े। प्लेटफार्म पर जीवन-निर्वाह करने वाले कितने ही ऐसे परिवार कहीं किसी कोने में सोए पड़े थे। ऐसे दृश्यों से मैं अक्सर विचलित हो जाता हूँ... हृदय अपराध-बोध से भर जाता है... आँखें अनजाने में डबडबा जाती हैं। कीड़े-मकोड़े जैसे जीवन व्यतीत करने वाले इन लोगों के लिए हमारे जैसे शिक्षित लोग आखिर क्या कर रहे हैं... ?

"बापी दा.... !!"

अचानक एक चिर परिचित विनम्र संबोधन से मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़ कर देखा... एक विवाहिता तरुणी को .... अपलक निहारती हुई... शायद किसी खोए हुए रिश्ते की डोर को अचानक आविष्कार कर लेने की सुखानुभूति लिए अपने संबोधन के प्रत्युत्तर में सकारात्मक सुनने को आतुर थी वह। बिलकुल अपरिचित सी लगने वाली वह महिला धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। संबलपुरी साड़ी में लिपटी वह तरुणी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके माँग पर लगी सिंदूर और माथे की बिंदी किसी संभ्रांत परिवार से संबद्ध होने का संकेत दे रही थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नहीं था जिसे वह महिला ने पुकारा था।

'तो क्या वह संबोधन मेरे लिए था?', मेरी जिज्ञासा भरी उत्सुकता को भांप कर उसने कौतूहल-पूर्वक दोहराया, "आप बापी दा हैं न?" अब वह बिलकुल मेरे सामने खड़ी थी, उत्तर की अपेक्षा में।

हालांकि वह अपनत्व भरा संबोधन मेरे लिए बिलकुल ही अनजाना नहीं था और न ही वह आकर्षित करती हुई दृष्टि-भंगिमा। फिर भी उसे पहचानने में मेरी असमर्थता के लिए अपनी स्मृति-अंकित को दोष देने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। 'भुलक्कड़'... हाँ, इसी नाम से परिचित हूँ मैं अपने दोस्तों में। दरअसल कभी-कभार ऐसा हुआ भी है और शायद स्वाभाविक भी है... बल्कि यूँ कहें कि ऐसा शायद सभी के साथ होता होगा कि कई दिनों के बाद किसी पूर्व-परिचित से सहसा मिलने पर हठात उनका नाम याद नहीं आता। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, पर ऐसा भी नहीं कि एक इतनी सुंदर जानी-पहचानी महिला को याद ना रख सकूं और भूल जाऊं। मेरे लिए यह कतई अस्वाभाविक ही था।

"मुझे नहीं पहचाना, बापी दा... मैं हूँ एलिना !"

सचमुच मैं चौंक पड़ा। मेरे सामने खड़ी हुई तरुणी 'एलिना' हो सकती है इसका अंदाजा लगाना भी विश्वास-योग्य नहीं था। 'एलिना' शब्द सुनते ही मेरे आँखों के सामने एक फटी-पुरानी मैली-सी फ्रॉक पहने बारह-तेरह साल की एक शांत-सुशील और सुंदर लड़की का चेहरा सहसा उभर कर आया... उसकी डबडबाई हुई स्नेह-सिक्त बड़ी-बड़ी आँखों का ख्याल आया... उन आँखों में अपनों से प्यार पाने को तरसती हुई उसकी हसरतें ! वह एलिना ही थी ! पर वह कभी इस तरह ऐसी हालत में मुझे मिलेगी, मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था।

मैं विस्मित-सा खड़ा उसे अपलक ताके जा रहा था। मेरी आँखों में छाये विस्मय-भाव ने उसके चेहरे पर उमड़े कौतूहल को निराशा के काले बादलों से ढक दिया। सागर में उमड़ी तेज लहरें अचानक जैसे किनारे रेत में पसर कर लुप्त हो गए हों। उसके मुखमंडल पर उदासी का घना आवरण पड़ गया। निराश मन से संयत होकर उसने कहा, "माफ कीजिएगा, आप मुझे मेरे ब्रजेश भैया जैसे लगे। शायद मुझसे पहचानने में कोई गलती हो गई है।"

अश्रुल आँखों से वापस जाने के लिए वह मुड़ चुकी थी।

"एलिना, हाँ मैं ही हूँ ब्रजेश... तुम्हारा बापी दा... !" मैंने बड़े ही आवेगपूर्ण स्वर से उसे पुकारा था।

मुड़ कर उसने मुझे देखा... किसी अप्रत्याशित और बहुप्रतीक्षित सुख की प्राप्ति से उसका चेहरा खुशी से खिल उठा था। एक अनपेक्षित आवेग से आगे बढ़ कर वह स्वाभाविक से उत्फुल्ल होकर मुझसे लिपट गई। मैंने उसके उस निर्विकार प्रेम को महसूस किया था। कुछ पल के लिए निस्तब्धता छाई रही। क्षण भर में स्थिति को भाँपते हुए उसने अपने आप को अलग किया और मेरे पैर छुए। उसकी आँखों से दो बूंद आँसू उमड़ कर मेरे पैरों पर अनायास ही लुढ़क गए थे। शायद खुशी के आँसू थे जिसे उसने मानो बरसों से संजोये रखा था। एलिना के गालों पर आँसुओं की धार चमक रही थी। उसे देख मेरा भी गला भर आया।

उसके पीछे खड़ा एक नवयुवक जिसकी उपस्थिति का अब तक मैंने विशेष ध्यान ही नहीं दिया था, झुक कर मुझे प्रणाम करते हुए उसने अपना परिचय दिया।

"बापी दा, मैं अनिमेष... अनिमेष रॉय। आपके बारे में एली से बहुत कुछ सुना है पर आपको देखकर ऐसा लगता है कि उसने जितना कुछ कहा है, कम ही है।"

मुझे यह समझने में तनिक भी संदेह नहीं हुआ कि अनिमेष ही एली का पति है। पहली ही मुलाकात में अनिमेष मुझे भा गया। ऐसे उदार और सुंदर व्यक्तित्व के मालिक के सानिध्य में निस्संदेह एली खुशहाल जीवन बिता रही है, जो उसके मुखमंडल की चमक से साफ झलक रहा था। एलिना को खुशहाल देखकर मैं आश्वस्त हुआ। अनिमेष को मैंने गले से लगा लिया। मेरी आँखें पसीज गईं।

स्मृतियों के झरोखे से अतीत के जीवंत दृश्यों में मैं कहीं खो गया... करीब दस साल पहले... गर्मी की छुट्टियां थीं। मैं मैट्रिक की परीक्षा दे कर कॉलेज में प्रवेश के लिए तैयारियां कर रहा था कि अचानक मेरी छोटी बहन मिनी के साथ खेलते हुए मेरे कमरे में मेरे सामने एक दुबली सी दस-बारह साल की बड़ी-बड़ी आँखों वाली प्यारी सी सुंदर लड़की आकर खड़ी हो गई। मैं अचम्भित-सा एकटक उसे ताकता रह गया। वह भी टकटकी भरी दृष्टि से मुझे स्तब्ध निहारते हुए खड़ी की खड़ी रह गई, चुपचाप अपलक! पल भर के लिए मानो सारा संसार ही ठहर गया हो। मेरा शरीर किसी अज्ञात स्पंदन से कम्पायमान होने लगा था। मेरे लिए यह एक अभूतपूर्व घटना थी। शायद यह किशोरावस्था का प्यार था या महज आकर्षण... जो उस वक्त मुझे पता नहीं चल पाया था। मेरी बहन ने उससे परिचय कराया था। एलिना ने सकुचाकर चुपचाप आँखें नीची कर ली थीं।

एलिना हमारे पड़ोस के रमा काकी के भाई की बेटी थी जो सुदूर गाँव से अपने पिता के साथ आई थी। उन दिनों रमा काकी बीमार चल रही थीं। उन्हें देखने उनके भाई आये थे और साथ उनकी बेटी एलिना। दो-एक दिन ठहर कर उसके पिता गाँव लौट गए थे... एलिना को वहीं छोड़ कर... ताकि बुआ के कामकाज में कुछ हाथ बँटा सके। एलिना के पिता को मैं बस-अड्डे तक छोड़ने गया था। जाते समय उन्होंने मुझे बताया था कि एलिना उनकी सबसे छोटी और इकलौती बेटी है और बहुत ही लाडली... और दो बेटे भी हैं। गाँव में खेती-बाड़ी के नाम पर कुछ भी नहीं है... जो थोड़ा-बहुत था एलिना की माँ की दवा-दारू में सब कुछ बिक गया... रमा दीदी के हिस्से के खेत को बटैया लेकर जोत-बो कर तथा और लोगों के खेत-खलिहानों में दिहाड़ी-मजदूरी करने के बावजूद परिवार का भरण-पोषण नहीं हो पाता है। मुश्किल से एक वक्त का रूखा-सूखा खाना जुट पाता है। बेटी जात है... जल्दी बड़ी हो जाती है... खाने-खिलाने को भी नसीब नहीं है तो इसके हाथ पीले कैसे होंगे...। एलिना के बारे में चिंता जताई थी।

रमा काकी ने उन्हें पत्र लिख कर कहा था कि घर के काम के लिए उन्हें एक लड़की चाहिए। एवज में खाएगी-पहनेगी और ऊपर से उसके परिवार को कुछ पैसे भी दे देंगी। दीदी का इशारा तो एलिना की ओर था, पर अपने मुंह से कैसे कहतीं... बुआ जो ठहरीं। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ कर जा रहा हूँ... इस आशा से कि वह अपनी बुआ के पास रहकर दो जून की रोटी तो कम-से-कम ढंग से खा लेगी... दो अक्षर पढ़ भी लेगी...। एक घने छायादार वृक्ष की छाया में सैकड़ों जंगली पौधे और बेलें गर्मी की तपती दुपहरी में भी पनप जाती हैं। भगवान की कृपा हुई तो मेरी बिटिया भी किसी लायक बन जाएगी।

पर बेटी एलिना की चिंता हमें सताएगी क्योंकि अपनी दीदी के स्वभाव को मुझसे अच्छा भला और कौन जानेगा। फिर भी क्या करें हम...? उनकी बातों को टाल भी तो नहीं सकते हैं... उन्हीं के खेत की वजह से तो हम आज साँस ले रहे हैं वरना कब का मर-खप जाते... बड़ा एहसान है उनका हम पर...। इतना कहते हुए वे बच्चों की तरह सिसक कर रो पड़े थे। मैंने

उन्हें ढाढ़स बंधाया था। जाते-जाते वे मुझे एलिना का ख्याल रखने को कह गए थे।

एलिना घरेलू काम-काज में सिद्धहस्त थी। काकी की बीमारी में उसने दिन-रात एक कर दिए। सेवा-शुश्रुषा में कोई कमी नहीं छोड़ी। घर का सारा काम बड़ी निपुणता से करती। एक-एक कर, सबका ख्याल रखती। किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। घर के काम-काज के साथ-साथ उसने लिखना-पढ़ना भी शुरू कर दिया था। छुट्टियों में अड़ोस-पड़ोस के बच्चों के साथ वह भी मेरे पास पढ़ने बैठती। स्कूल भी जाने लगी थी। परंतु अड़चनों और बंधनों के बावजूद थोड़े समय में वह कक्षा के अच्छे विद्यार्थियों में पहचानी जाने लगी। वह उत्साह से भर गई और खूब परिश्रम करने लग गई। मानो उसके कस्बाई सपनों के दायरे में अब महानगरीय विस्तार जड़ें जमाने लगा था। मुझे ताज्जुब होता कि इतनी कम-उम्र के बावजूद इतना सब कुछ वह कैसे कर लेती थी।

धीरे-धीरे एलिना हमारे घर की सदस्य बन चुकी थी। मेरी छोटी बहन मिनी की अच्छी सहेली बन चुकी थी और मेरी माँ की लाडली बेटी। मिनी के कपड़े उसे आ जाते थे और वह निःसंकोच पहन भी लेती थी। माँ ने उसके लिए नए कपड़े सिलवा कर दिए थे। नए कपड़े पहनकर वह बहुत खुश होती, मेरे इर्द-गिर्द घूमती ताकि उसके पहनावे पर अपनी टिप्पणी दूं। हालांकि वह किसी भी कपड़े में खूबसूरत दिखती पर मैं जानबूझ कर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता तो वह नाटकीय-अदाओं से मुझे चिढ़ाती और पास आकर इतरा कर भाग जाती। मैं उसे पकड़ने को उसके पीछे दौड़ता तो वह रुक जाती और अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से घूरते हुए अपने आप को बढ़ती हुई लड़कियों के श्रेणी में रखते हुए मुझे खबरदार करती और कहती कि मुझे छुओगे तो माँ से शिकायत कर दूँगी कि तुमने मुझे छेड़ा है। मुझे असहज हुआ देख फक से

हँस देती और ऐंठ कर भाग जाती। कई बार मन हो आया कि उसकी रिबन-बंधी लम्बी-लम्बी चोटियों को पकड़ कर झकझोर दूं... गालों पर हौले से चुटकी भर दूं... उसके रक्तिम कानों की लवों को प्यार से मरोड़ लूं... लेकिन पता नहीं क्यों एलिना की ओर मेरे बढ़े हुए हाथ उसे छूने से पहले ही ठिठक जाते ! मेरी लालसा छू-मंतर हो जाती।

पढ़ाते समय कहती, "बापी दा, आप मेरे शिक्षक हैं... तो आपको गुरुजी कहूं या दादा.. .!" फिर कहती "नहीं, मैं तो दादा ही कहूँगी... 'बापी दा'... किसी को बुरा लगे तो लगे मेरे!" इस तरह की ढेरों बेतुकी सवाल-जवाब से मुझे यूँ ही उलझा दिया करती। दरअसल मैं एली से कुछ अधिक ही जुड़ता हुआ महसूस करने लगा था और शायद वह भी...। यह मुझे तब महसूस हुआ जब कॉलेज की पढ़ाई के लिए घर छोड़ कर मेरे जाने की बारी आई... मैं बड़े ही भारी मन से घर से निकला था। मुझे छोड़ने के लिए मेरे भाई-बहन के साथ वह भी बस-अड्डे तक आई और मुझे विदा करते हुए अपने को रोक नहीं पाई... बिलख कर रो पड़ी थी। महज स्नेह पाने को आतुर एक अनजानी लड़की का मेरे जीवन के इतने करीब आ जाना... ऐसा सोचते हुए मैं उदासीन हो गया था।

दशहरे की छुट्टियों में जब घर आया तो सब कुछ बदला-बदला पाया। सिर्फ तीन महीनों के अंतराल में इतना कुछ परिवर्तन हो जाएगा, मैंने सोचा भी न था। मेरे आने की खबर मिलने के बावजूद एलिना मुझसे मिलने नहीं आई थी। कारण पूछने पर किसी से भी ढंग का जवाब नहीं मिला। मिनी के आँखों में आँसू देखकर मैं विस्मित हो गया। माँ ने बताया कि एलिना के लिए हमारे दोनों परिवारों के बीच अशांति बनी हुई है। इस बीच माँ और काकी में तनातनी हो गई है। उनका आरोप है कि हमारे लाड़-प्यार से एलिना बिगड़ गई है।

रात भर मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठकर घर में बिना बताये किसी अनजाने आकर्षण से काकी के यहाँ खिंचा चला गया। मैंने दरवाजे पर आवाज लगाई, "एलिना... !"

प्रत्युत्तर में, "बापी दा" कहती हुई वह भागी ही थी कि अचानक काकी के कठोर शब्दों ने मानो एक अविरल बहती हुई धारा-प्रवाह को रोक दिया हो। वह ठिठक कर मूर्तिवत् खड़ी रह गई। काकी ने बाहर आ कर मुझे घृणित शब्दों में कहा था, "पराई बच्ची से इतना मुंह लगाना ठीक नहीं... तुम लोगों के बहकावे में आकर आजकल वह किसी का कहना भी नहीं मानती. .. पढ़ाई तो दूर, घर का कोई काम भी नहीं करती है... !"

मैं निर्वाक खड़ा सब कुछ सुनता रहा। काकी के व्यवहार से आहत एली आवेश से कांपती हुई वापस कमरे में दाखिल हुई और पलंग पर ढेर हो कर फूट-फूटकर रोने लगी। उसने सारा प्रकरण सुन लिया था। मुझे इसका अहसास हो गया कि एली बेवजह ही प्रताड़ित हुई है। पता नहीं काकी को किस बात का क्षोभ था। अब एली या तो घर से बाहर निकलती नहीं थी या निकलती भी तो क्लेश-कलह से बचने के लिए देखी-अनदेखी कर जाती।

मुझसे यह सब सहा नहीं गया। मेरे घर में भी सभी के चेहरे पर उदासी छा गई थी। मेरी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही मैं हॉस्टल चला

गया। मुझे रोकने में किसी की भी न चली। पर वहाँ भी दिल नहीं लगा। एली का व्याकुल चेहरा को भुला नहीं पा रहा था। मन में अपराध-बोध की भावना घर करने लगी। परिस्थिति का सामना न कर मेरे पलायनवादी होने पर मैं कुंठित था। दो-एक दिन के बाद फिर वापस गाँव चला गया।

माँ से मैंने एक विद्रोही की तरह पूछा था, "क्या हम एली को अपने घर नहीं ला सकते। काकी अगर उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं आती उसके घर। नाहक एक पराई लड़की पर मनमानी करना कितना उचित है?... .. "काकी को इतने सस्ते में नौकरानी भी तो मिलने से रही, जिस पर बेवजह अपना रोब जमा सके..." और न जाने क्या कुछ कह गया था मैं भावुक होकर ।

हम लोग आदर्शों की, सुधार की कितनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। दुनियाभर को भाषण देते फिरते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो विवश हो कर वही करने लगते हैं जो दूसरे करते हैं और जिसे हम हृदय से गलत मानते हैं।

मेरा स्वर इतना प्रखर था कि काकी तक को सुनाई दे गया। बाहर आ कर काकी ने मेरे और एली के रिश्ते पर कुत्सित और कदाचार भाषा से मिथ्या दोषारोप किया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। अपने स्वार्थ के लिए काकी इतना गिर सकती है, यह मेरे सोच से परे था। दरअसल इस घटना से मैं एलिना के प्रति कुछ अधिक ही जुड़ता हुआ महसूस करने लगा था। शायद इस वात्सल्य-गठबंधन के सुदृढ़ होने के पीछे हमारी निश्छल और निष्कलुष भावना रही थी।

मैंने यह संकल्प कर लिया कि अब मैं एली के वहाँ रहने तक कभी भी गाँव वापस नहीं आऊँगा। बेवजह उसे सजा नहीं दिलाना चाहता था। गाँव से जाते समय मोड़ पर छुपकर मेरा इंतजार करती हुई मुझसे एलिना मिली... एक फटी फ्रॉक में जिसमें से उसके पीठ पर चोट के निशान साफ झलक रहे थे। चोट की गहराई को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी निर्ममता से उसे मारा-पीटा गया है। अपनी आंसुओं को मैं रोक नहीं पाया था।

एक मुड़े हुए कागज को मेरी ओर बढ़ा दिया था उसने। अपनी आँखों से निर्गत आंसुओं को छिपाने की व्यर्थ कोशिश करते हुए उसने कहा था, "बापी दा, यह मेरे पिताजी की चिट्ठी है, उसमें शायद उनका पता होगा। उन्हें कहना कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाएं अन्यथा मैं यहाँ बच नहीं पाऊंगी।" मेरे कुछ कहने से पहले ही वह वहां से भाग चुकी थी।

मैंने वैसा ही किया था। उसके पिताजी आकर उसे यहां से ले गए थे। उसकी दुर्दशा को उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। जाने से पहले एली छुपकर हमारे घर आई थी और मेरी छोटी बहन मिनी से मेरा एक फोटो ले गई थी। मेरी माँ ने पत्र लिखकर यह सब मुझे बताया था।

एली को लेकर हमारे दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते में दरार गहरा गई। हम लोगों ने गाँव छोड़ दिया था। रमा काकी और उनके बच्चों के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। एलिना का पता वाला वह पत्र भी मुझसे कहीं गुम हो गया था। उसके बारे में भी कोई खबर नहीं थी। कार्य-व्यस्तता और पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए एलिना मेरे लिए मात्र एक तिक्त-मधुर स्मृति बन कर रह गई थी।

इतने अरसे बाद एलिना से मेरी मुलाकात होगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसका मुझे अपने घर ले जाने का आग्रह मैं ठुकरा नहीं पाया। उसके घर की साजो-सज्जा देखकर मैं प्रभावित हो गया। कब्बर्ड पर सलीके से रखी मेरी फोटो को देखकर मैं अचंभित हो गया। अपनी फोटो को देखते हुए मैं कहीं खो गया था कि अचानक बगल के ड्रेसिंग टेबल के आईने में एलीना को मेरे पीछे चाय लिए खड़ा पाया, जो शायद कब से वहां खड़ी थी। मेरे मुड़ने पर वह अपने कांपते हुए हाथों से चाय की प्याली मुझे पकड़ा कर साड़ी की आँचल से अपना मुंह छिपा लिया और लजाते हुए दूसरे कमरे में चली गई। हमारे उस अनाम रिश्ते को उसने अपने दिल में आज भी संजो कर रखा है।

सबसे आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मैंने रमा काकी को वहां उसके घर पर देखा। मैंने उन्हें पहचान लिया हालांकि अपनी उम्र से वह काफी बड़ी लग रही थी... कमर झुक गई थी और नजरें कमजोर। पर वे मुझे पहचान नहीं पाईं...।

एली ने ही मेरा परिचय कराया... "काकी, ये बापी दा हैं।"

काकी अप्रतिभ हो गई... नजरें झुका कर मुझसे कहा, "ब्रजेश बेटा, तुम्हारे काका के गुजरने के बाद मुझे मेरी हालत पर छोड़ कर बेटे शहर चले गए। मेरे खाने-पीने का ठिकाना न रहा... मैं रोग-ग्रस्त हो गई। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। एली को खबर मिलते ही मुझे अपने पास ले आई। इन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, बेटा, वरना....।" काकी और आगे कुछ कह नहीं पाई। उनका कंठ रुद्ध हो गया। बिलख कर बच्चों की तरह रो पड़ी। शायद उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हो रहा था।

मैंने एली की तरफ मुड़ कर देखा.... उसकी वो बड़ी-बड़ी खूबसूरत आँखें इशारों से कह रही थी कि जैसे उसने काकी को माफ कर दिया है... और जैसे काकी की पिछली बातों को भूल जाने के लिए मुझसे अनुनय कर रही हो।

मुख्य प्रबंधक

प्र.का. सतर्कता विभाग

कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, हमारा नजरिया ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है।

व्हाट्सएप और हमारा समाज

उपदेश सिंह सचदेवा

व्हाट्सएप का किसने आविष्कार किया, कब किया, कहाँ किया, यह एक अलग विषय हो सकता है।

लेकिन मेरा तो केवल एक ही ध्येय है : ज्ञान-वृद्धि और चरित्र-सुधार।

दूरभाष यानि टेलीफोन कहाँ से चला और कहाँ आ पहुँचा, ग्राहमबेल की भी कल्पना के बाहर होगा। नवीनीकरण का एक उदाहरण देखना हो तो दूरभाष का इतिहास देख लीजिए। आविष्कार एक बार ही होता है और उस आविष्कार का नवीनीकरण हज़ारों या उससे भी अधिक हो सकता है।

टेलीफोन का एक फिल्मी गीत, पुराने लोगों को पता होगा :

''मेरे पिया गये रंगून, किया है वहाँ से टेलीफून
तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है...''

और फिर यह गाना :

''व्हाट इज़ मोबाईल नं.?''

और आज स्मार्ट फोन यानि टच स्क्रीन आता हो तो केवल टच यानि उंगली से छू कर हिलाने की आवश्यकता, और कुछ नहीं। जो चाहो कर लो।

तो अब मैं आता हूँ व्हाट्सएप पर। क्या आविष्कार है! आज आप दुनिया के किसी कोने में या फिर घर के किसी कोने में बैठे हो, अपना संदेश लिख कर किसी को जिसके पास स्मार्ट फोन हो (आज किसके पास स्मार्ट फोन नहीं है?) अपना संदेश भेज सकते हैं। संदेश लिखने की बात तो एक तरफ आप गीत, चिट्ठियाँ, यानि डाक, ड्रामा, हँसी, चुटकले, मज़ाक, राजनीति, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, साहित्य, इतिहास, मनोविज्ञान, दवाईयाँ (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी आदि) सैकिंड में दुनियां के किसी भी कोने में भेज सकते हैं और उसका उत्तर भी इतने ही समय में प्राप्त कर सकते हैं।

पुराने समय में संदेशों को प्रायः दो तरह से भेजा जाता था एक घोड़े पर घुड़सवार द्वारा क्योंकि घोड़ा भागने में सब से तेज़ जानवर है अधिकतर इसी को प्रयोग में लाया जाता था।

रेगिस्तान में ऊँट का प्रयोग किया जाता था - आज भी ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त कबूतरों का भी प्रयोग किया जाता था। जो कबूतर संदेश ले जाने या लाने के लिए उड़ते थे वो संसार में समाप्त हो चुके हैं।

दूसरा साधन था डाक-तार जो भारत में अंग्रेज़ राज के समय लागू किया गया। चिट्ठी लिखो, डाक में डालो और कुछ दिनों में चिट्ठी मिल जाएगी। लेकिन यदि न मिले तो कोई पता नहीं। पता करना भी नामुमकिन था। महीनों या सालों बाद पता चलता कि चिट्ठी तो मिली ही नहीं। निश्चित करने के लिए पंजीकृत पत्र का प्रावधान तो था किंतु उसमें भी कई दिन लग जाते, तार का प्रयोग किया जाता जब संदेश अत्यावश्यक होता। परंतु समय उसमें भी लगता और प्रायः संदेश बिगड़ कर भी मिल जाता।

व्हाट्सएप तो एक जादू है - जादू विज्ञान का।

आप जो लिखो या भेजो वही वैसा ही क्षणों में मिल जाएगा। और उसका उत्तर भी उतनी ही शीघ्रता से मिल जायेगा।

तो अब मैं आता हूँ नैतिक (चरित्र निर्माण) मूल्यों पर। मेरी आयु तक पहुँचते-पहुँचते जीवन के लगभग सभी अच्छे-बुरे पहलुओं का ज्ञान हो जाता है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भले ही भारत और भारत जैसे देशों में अच्छे, चरित्रवान लोग हैं, उनकी संख्या नाम मात्र ही है।

अपने बारे में ये शब्द बुरे तो अवश्य लगेंगे लेकिन पिछले लगभग 70 वर्षों के आँकड़े साफ बोलते हैं कि 'हम' लोग दुनियाँ में शायद सबसे भ्रष्ट हैं। न तो हमारा कोई चरित्र है, न दीन, न ईमान। झूठ, फरेब, हेराफेरी, बेईमानी और फिर हर प्रकार का अपराध की कोई बात भी नहीं बची हम लोगों से।

व्हाट्सएप के जो संदेश दिन-रात लाखों की संख्या में आते हैं उनमें से अधिक चरित्र प्रधान होते हैं, बड़े भावुक भी। हमें माता-पिता, गुरुओं की आदर करना चाहिए। बूढ़े माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए। अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छी पत्नी, अच्छा पति और जितने भी खून के रिश्ते हैं अच्छे बनने चाहिए। काम-क्रोध लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष आदि को त्यागना चाहिए। दूसरों के दुख-दर्द को समझना तथा उनकी सहायता करनी चाहिए। पड़ोसी को अच्छा पड़ोसी और मित्र को अच्छा मित्र होना चाहिए।

हर एक रिश्ते की सैकड़ों, हज़ारों छोटी-छोटी कहानियाँ भी संचार करती हैं।

ऐसे ही क्रेता-विक्रेता, गुरु-शिष्य, राजनीतिज्ञ, बच्चे, जवान, बड़े-बूढ़े, नर-नारी सभी को ही अच्छा तथा नैतिक होना चाहिए।

विडम्बना ये है कि हम व्हाट्सएप भेजते भी हैं, प्राप्त कर उन्हें पढ़ते भी हैं और फिर आगे भेजते हैं। लेकिन क्या इन व्हाट्सएप संदेशों का हम पर कुछ अच्छा असर होता है तो उत्तर है : बिल्कुल नहीं। नाममात्र भी नहीं। अपवाद नियम नहीं होते। हो सकता है लाखों में किसी पर तनिक असर हुआ भी हो, कौन जाने?

एक ओशो थे, आज सद्गुरु और श्री-श्री हैं। उपदेश देना उनका धंधा है, व्यापार है। अच्छा देते हैं। उनके भाषणों के भी व्हाट्सएप आते हैं। वैसे ही जैसे किसी समय स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, रवीन्द्रनाथ टैगोर आदि के हुआ करते थे। इसके भी आगे जितने भी धार्मिक महापुरुष हुए जैसे कि मुहम्मद साहब, जीजस, राम, कृष्ण, नानक, महावीर, बुद्ध आदि। भगवान कृष्ण की संचार-योग्यताओं का कोई जवाब नहीं था। आज भी ऐसा ही माना जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन (जो भगवान का रिश्तेदार भी था) को उपदेश देते पूरी गीता ही उच्चारण कर दी। गीता में जीवन का कोई पहलू नहीं छोड़ा भगवान कृष्ण ने जो मनुष्य को श्रेष्ठ मानव न बना सके। लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पुरानी है गीता। सभी पढ़ते-सुनते हैं। संस्कृत में थी, जिसका अनुवाद दुनियाँ की सभी भाषाओं में कब का हो चुका है।

तो क्या मनुष्य बदला? क्या हमारा चरित्र बदला? क्या हमने झूठ, फरेब, मक्कारी, बुराई, अपराध छोड़ा? भगवान का नाम लीजिए।

अब प्रश्न यह है कि : क्या भगवान कृष्ण के कहने का ढंग त्रुटिपूर्ण था यानि प्रभावशाली नहीं था? ऐसा मानना तो मूर्खता होगी। भगवान जैसा वक्ता और दूरदृष्टा कौन हो सकता है? तो फिर मानव समाज की बुद्धि-मलीन थी और है, जो भगवान का संदेश न समझ सके। और समझे भी तो केवल मनोरंजन समझ के फेंक दिया। उसे अपनाया क्यों नहीं? समाज बदला क्यों नहीं? मानव तो पहले से भी अधिक पाखंडी बन गया। ऐसे ही जीजस, बुद्ध, नानक, महावीर, मोहम्मद तथा अन्य धार्मिक महापुरुषों के संदेश भी व्यक्तियों ने अपने ढंग से ही लिए।

वैसे तो जैसा मैंने ऊपर लिखा कोई विषय ऐसा है ही नहीं जिस पर व्हाट्सएप न आते हों, मैं उदाहरण के तौर पर कुछ संदेश दर्शा रहा हूँ

व्हाट्सएप संदेश :

"जो भोजन हम खाते हैं पचाने के 24 घंटे बाद शरीर से निकाल देते हैं। नहीं तो हम मर ही जायेंगे। पानी जो हम पीते हैं, 4 घंटे बाद बाहर निकाल देते हैं नहीं तो हम मर जाएंगे। वायु जिसका हम सांस लेते हैं एक मिनट बाद निकाल देते हैं, नहीं तो हम मर जाएंगे। लेकिन कभी बुरे विचारों के बारे में सोचा? नफरत, भेदभाव, गुस्सा, ईर्ष्या, लालच आदि ये तो हम अपने भीतर ही रहने देते हैं। यदि इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे तो शारीरिक मानसिक बीमारियाँ आपको घेर लेंगी

'प्रार्थना' और 'ध्यान' से बुरे विचारों को बाहर निकाला जा सकता है।

व्हाट्सएप संदेश परख :

पुत्र की परख विवाह के बाद,
पुत्री की परख उसकी जवानी में,
पति की परख पत्नी की बीमारी के समय,
पत्नी की परख पति की गरीबी में,
मित्र की परख मुसीबत में,
भाई की परख लड़ाई में,
औलाद की परख बुढ़ापे में होती है।

किसी ने ये भी भेजा :

"फकीरों की सुनो उनसे भला कोई नहीं करता,
परखना मत परखने से कोई अपना नहीं रहता।"

"मित्र वो जो समय पर काम आए।"

"आज परछाई से पूछ ही लिया,
क्यों चलती हो मेरे साथ।
उसने हंस के कहा,
और कौन है तेरे साथ।"

"अब हिचकियाँ आती हैं तो पानी पी लेते हैं, ये वहम छोड़ दिया कि कोई याद करता होगा।"

"रिश्ते कम बनाइए, उन्हें दिल से निभाइए।"

"गिनती आज भी नहीं आती माँ को, मैं एक रोटी माँगता हूँ, वो दो ही लेकर आती है।"

ये सब तो केवल व्हाट्सएप के कुछ उदाहरण हैं। क्या गारंटी है कि हम इन्हें जीवन में उतारेंगे सुधरने के लिए?

जब महापुरुषों और प्रत्यक्ष भगवान के प्रवचनों को हमने नहीं माना, तो व्हाट्सएप बेचारा क्या करेगा?

तो फिर आप केवल आनंद लेते जाइए व्हाट्सएप का। हाँ यहाँ यह कहना उचित होगा कि व्हाट्सएप ज्ञानवर्धक तो है ही, ये विभिन्न-विज्ञापन का भी बड़ा भारी स्रोत है।

- पूर्व सहायक महाप्रबंधक

गोल्ड लोन योजना का शुभारंभ

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों हेतु गोल्ड लोन योजना का शुभारंभ करते हुए: कार्यकारी निदेशक श्री फरीद अहमद। चित्र में महाप्रबंधक श्री सुनाष क्वात्रा, आंचलिक प्रबंधक श्री पंकज द्विवेदी, सहायक महाप्रबंधक श्री अमोलक सिंह तथा श्री गुप्तेश्वर गुप्ता भी दिखाई दे रहे हैं।

कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फरीद अहमद, जगेन्द्र गंज शाखा के प्रभारी श्री अशोक खटवानी को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु शील्ड प्रदान करते हुए।

कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फरीद अहमद, मुरैना के शाखा प्रबंधक श्री संजय बिजपुरिया को उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु शील्ड प्रदान करते हुए।

कार्मिक, लोक शिकायतें, विधि और न्याय विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा बैंक के सतर्कता प्रशासन तथा लोक निवारण तंत्र की समीक्षा।

दिनांक 8.6.2017 को चंडीगढ़ में आयोजित की गई कार्मिक, लोक शिकायतें, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में दृश्यमान समिति अध्यक्ष श्री आनंद शर्मा व अन्य सदस्यगण।

समिति के माननीय सदस्यगण

विमोचन

बैठक में बैंक द्वारा जारी सतर्कता विषय पर पत्रिका का विमोचन करते हुए समिति अध्यक्ष श्री आनंद शर्मा व समिति सदस्य। चित्र में पत्रिका का विमोचन करवाते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदर बीर सिंह (आई.ए.एस.), सी.वी.ओ. श्री एम. जी. श्रीवास्तव तथा आंचलिक प्रबंधक, चंडीगढ़ श्री जी. एम. सरना।

'सतर्कता' विषय पर पत्रिका के विमोचन के समय चित्र में दृश्यमान हैं - समिति अध्यक्ष श्री आनंद शर्मा तथा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदर बीर सिंह (आई.ए.एस.)।

पुण्य स्मरण : श्री गुरु अर्जुनदेव जी

करमजीत सिंह

भारत की पतित-पावन-पुण्य भूमि ने अपने पवित्र गर्भ से ऋषियों, महर्षियों एवं गुरुओं समेत ऐसे विद्वानों को जन्म दिया है जिन्होंने मानव-मात्र की खातिर अपना सर्वस्व त्याग दिया एवं ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। इस श्रेणी में शांति के पुंज, शहीदों के सरताज, सामाजिक आध्यात्मिक जागरण के अग्रदूत तथा सिख धर्म के पांचवे गुरु, गुरु अर्जुनदेव जी का नाम बड़े ही श्रद्धा से लिया जाता है।

श्री गुरु रामदास जी एवं बीबी भानी जी के सुपुत्र श्री अर्जुनदेव जी का अवतरण 15 अप्रैल, 1563 को गोइंदवाल में हुआ। ''होनहार बिरवान के होत चीकने पात'' जैसी उक्ति गुरुजी पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। आप बाल्यकाल से ही शांत प्रकृति के एवं अध्यात्म में लीन रहने वाले थे। इनकी इन्हीं विशेषताओं तथा धीर-गंभीर स्वभाव को देख कर गुरु अमरदास जी ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक मानवमात्र के कल्याण हेतु वाणियों की रचना करेगा। उन्होंने कहा-

''दोहिता बाणी का बोहिथा''

गुरुगद्दी पर आसीन होने के पश्चात गुरुजी ने मानवता के कल्याण एवं धर्म प्रचार के कार्यों का विधिवत संचालन करना प्रारम्भ किया। उन्होंने अपने पिता एवं गुरु श्री रामदासजी के पदचिन्हों पर चलते हुए मानव-मात्र के उत्थान को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया।

दूरदर्शी गुरुजी ने आधुनिक जगत की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता का अतिसुंदर उदाहरण तब पेश किया जब उन्होंने अमृतसर नगर स्थित अमृत सरोवर के मध्य हरमंदिर साहिब जी का निर्माण करवाया एवं उसका शिलान्यास मुसलमान फकीर साईं मियां मीर से करवाया। मध्यकाल में, जब धार्मिक कट्टरता तत्कालीन भारतीय समाज के समन्वयरूपी ताने-बाने को कुतर डालने को आमादा थी, ऐसा उदाहरण इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। हरमंदिर साहिब के चारों दिशाओं में खुलने वाले दरवाजे इस तथ्य के प्रतिनिधि हैं कि धर्म का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले-

''उपदेश चहुं वरना को सांझा''

गुरुजी के महान कार्यों में से एक भाई गुरदास जी की सहायता से श्री गुरु ग्रंथ जी का संपादन था। श्री ग्रंथ साहिब जी में संकलित वाणियों का वर्गीकरण रागों के आधार पर किया गया है। मध्यकालीन धार्मिक ग्रन्थों में ऐसी व्यवस्था संभवतः अन्यत्र नहीं मिलती। संपादन कला के गुणी गुरुजी ने ग्रंथ साहिब जी में 36 महान वाणिकारों की वाणियों को स्थान दिया, जिसमें कबीर, नामदेव, गुरु रविदासजी, रामानन्द सहित अन्य वाणीकार हैं। श्री सुखमणि साहिब गुरुजी की महान रचना है। जैसा कि नाम से विदित है सुखमणि- सुख देने वाली वाणी। यह अत्यंत सरस रचना मन को असीम सुख शांति से परिपूर्ण कर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाली है।

सामाजिक कार्यों में श्री गुरुजी का योगदान अतुलनीय है। गांव-गांव में कुँओं का निर्माण, तरणतारण साहिब के विशाल सरोवर का निर्माण, कुष्टरोगियों हेतु बनवाई गई आरोग्यशाला ने गुरुजी को जन-जन का प्रिय बना दिया। गुरुजी की बढ़ती लोकप्रियता की गूंज जब अकबर की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी संभाल रहे जहांगीर तक पहुंची तो वह विकल हो उठा। सिख अनुयायियों की बढ़ती संख्या तथा उनके द्वारा गुरुजी को सच्चे पातशाह की उपाधि से विभूषित करना जहांगीर को गवारा ना हुआ और उसने गुरुजी को लाहौर शहर लाने एवं उन्हें गिरफ्तार करने का फरमान जारी कर दिया। गुरुजी को जो शारीरिक यातनाएं दी गईं उनका विवरण शब्दों में नहीं दिया जा सकता। उन्हें लोहे के धधकते तवे पर बिठा कर गरम रेत से नहलाया गया तथा क्षत-विक्षत हो चुके शरीर को रावी में फिंकवा दिया गया। मगर शांति के अग्रदूत गुरुजी ने अपने नश्वर शरीर को दी जा रही भयंकर यातना के दौरान भी धैर्य न खोया एवं परमेश्वर को स्मरण करते हुए कहा

''तेरा किया मीठा लागे

हरि नाम पदारथ नानक मांगे''

गुरु अर्जुनदेव जी की शहादत ने अधर्म पर धर्म की जीत का उदाहरण पेश किया। उन्होंने मानवता को अपने धर्म, वचन एवं कर्म पर अडिग रहने का उपदेश दिया। श्री गुरुजी का जीवन ही उनका संदेश है।

- आंचलिक प्रबंधक, होशियारपुर

प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित शहीदों के सरताज श्री गुरु अरजन देव जी के शहीदी गुरुपर्व पर कीर्तन तथा छबील का आयोजन

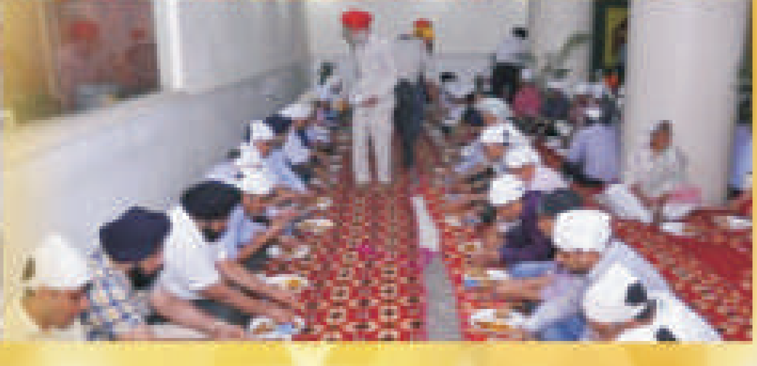

नराकास गतिविधियाँ / राजभाषा शील्ड

श्री भुपिंदर पाल सिंह कंवल आंचलिक प्रबंधक, पटियाला (शील्ड के साथ) को नराकास स्तर पर बैंकों की श्रेणी में राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान करते हुए डॉ. जगतार सिंह जी (प्रधान आयकर आयुक्त व अध्यक्ष नराकास, पटियाला) चित्र में दायीं ओर श्री वैभव मिश्र राजभाषा अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं।

बैंक नराकास करनाल द्वारा हमारे बैंक के आंचलिक कार्यालय करनाल के राजभाषा प्रबंधक श्री सोनी कुमार को शील्ड प्रदान करते हुए नराकास अध्यक्ष श्री आर. आर. पी. सिंह तथा उपनिदेशक (कार्यान्वयन), गृह मंत्रालय श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

उद्घाटन

बैंक की नवीन शाखा राजनांदगाँव, भोपाल का उद्घाटन करते हुए आंचलिक प्रबंधक, भोपाल। चित्र में सहायक महाप्रबंधक सरदार अमोलक सिंह व अन्य अधिकारी भी दिखाई दे रहे हैं।

नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव

नलिन हजारिका

हॉर्नबिल महोत्सव, नागालैंड का सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव है, जो पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है। 10 दिन तक होने वाला हॉर्नबिल त्योहार 1 दिसंबर, 2016 से किसामा, नागालैंड में होना है, यह तारीख नागा स्थापना दिवस के लिए भी चिन्हित है। पहली बार इसे 2000 में आयोजित किया गया था, तब से यह दिसंबर के पहले सप्ताह में हर साल आयोजित किया जाता है। नागाओं के विभिन्न आदिवासी लोकगीत, नृत्यों और गीतों में हॉर्नबिल पक्षी का उल्लेख मिलता है।

इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग और कला व संस्कृति विभाग के द्वारा नागा विरासत गांव, किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से 12 किमी. की दूरी पर स्थित है।

यह गाँव नागा के जीवन और उनके इतिहास की संपूर्ण झलक दिखाता है। सात दिवसीय इस महोत्सव में नागा जनजाति के समृद्ध और जीवंत संस्कृति को दर्शाया जाता है। इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है इस पक्षी के पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होते हैं।

इस समारोह में नृत्य प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल, भोजन के मेले और कई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। इस महोत्सव में शामिल होने वाले पर्यटक यहां के नागा जीवन से जुड़े पारम्परिक चित्रों, लकड़ी की नक्काशी वाले सामानों, शॉल और मूर्तियों को ले जाते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण यहां के नागा नायकों की बहादुरी की प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत हैं।

नागा परंपरागत रूप से अपने दयालु और दोस्ताना स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हर जनजाति को पारंपरिक झोपड़ियों, जिसे मोरुंग कहा जाता है, में पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत करते है, जहां वे जनजाति के बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ सकते हैं और कहानियों को साझा कर सकते हैं। जनजाति के युवा सदस्य अंग्रेजी के अनुवादक के रूप में कार्य करते हैं। यहां नागालैंड में 17 विभिन्न जनजातियां हैं, जिन्हें उनके पारंपरिक पोशाक, भोजन और लोक नृत्य द्वारा विभेदित किया जा सकता है। यह एक वार्षिक आयोजन है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को दर्शाने के लिए होता है।

हॉर्नबिल महोत्सव नृत्य, प्रदर्शन, शिल्प, परेड, खेल, भोजन मेलों और धार्मिक अनुष्ठानों के एक मिश्रण को प्रदर्शित करता है। यह त्योहार भारत में एक अद्वितीय राज्य के रूप में नागालैंड की पहचान को पुष्ट करता है। यह त्योहार पर्यटकों की एक बड़ी संख्या को आकर्षित करता है और पिछले कुछ वर्षों में इसने जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है, जिससे साल 2013 में इसे 7 दिन से बढ़ा कर 10 दिनों के वर्तमान रूप में विस्तृत किया गया। यह एक ही स्थान पर सभी नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और 'त्योहारों के महोत्सव' के रूप में जाना जाता है। त्योहार के दौरान होने वाले प्रतियोगिताओं में नागा कुश्ती, मिर्च खाने की प्रतियोगिता, पारंपरिक आग बनाने की विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। नागाओं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए, नागा जनजातियों के बीच एकता लाने के लिए तथा इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हॉर्नबिल महोत्सव मनाने का विचार आया। आयोजन के अंतिम दिन पारंपरिक अलाव को जलाया जाता है और एक एकता नृत्य सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है।

आंचलिक प्रबंधक, गुवाहाटी

मधुबनी चित्रकला :

विरासत मे मिली एक अमूल्य निधि

पीयूष कुमार

विभिन्न संस्कृतियों का पालना हमारा देश भारत निस्संदेह अतुल्य है। इसकी आलोकमय लोककलाओं, लोककथाओं एवं लोकगीतों से सुवासित है। अनेकता में एकता की उपाधि से विभूषित हमारे देश में कदम कदम पर सांस्कृतिक निधियां बिखरी पड़ी हैं जो हमें चमत्कृत कर गौरव का भान कराती हैं।

कहते हैं जब मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह हेतु अयोध्या से बारात आई थी तो समस्त मिथिलावासियों ने स्वागत में अपने-अपने घरों की दीवारों पर चित्रकारी की थी। तब से यह कला मिथिला के ग्राम्य अंचलों में फूलती फलती रही।

इसी कड़ी में मधुबनी चित्रकला का नाम जुड़ता है जो अपनी विशेष शैली, रंगों के अद्भुत संयोजन एवं खूबसूरती के कारण लोक कलाओं में शीर्ष स्थान पर है। बिहार राज्य का मिथिला क्षेत्र जिसमें मधुबनी, दरभंगा सीतामढ़ी आदि जिले आते हैं, को मधुबनी चित्रकला का गढ़ माना जाता है। राज्य से सटे नेपाल के तराई क्षेत्र में भी यह कला अतिलोकप्रिय है।

इस चित्रकला के इतिहास पर प्रकाश डालें तो इसका संबंध रामायणकाल से जुड़ता है। कहते हैं जब मिथिला की राजकुमारी सीता से विवाह हेतु अयोध्या से बारात आई थी तो समस्त मिथिलावासियों ने स्वागत में अपने-अपने घरों की दीवारों पर चित्रकारी की थी। तब से यह कला मिथिला के ग्राम्य अंचलों में फूलती फलती रही। चूंकि इस चित्रकला का विषय राम-सीता विवाह के अतिरिक्त हिन्दू धर्म के सभी संस्कारों यथा जन्म से मृत्यु तक ही रहा, यह मिथिला के घरों की दीवारों को ही सुशोभित करता रहा। जन्मोत्सव तथा विवाह आदि मांगलिक अवसर पर इस चित्रकला से दीवारों को सजाना शुभ माना जाता था।

आधुनिक जगत को इस चित्रकला का पता तब चला जब विलियम जी. आर्चर जो तत्कालीन ब्रिटिश सिविल अधिकारी थे, ने 1934 में उत्तर बिहार में आए भीषण भूकंप के दौरान मिथिला के गांवों का दौरा किया था। इस दौरान वह टूटे, ढहे पड़े मकानों की भित्ति दीवार पर की गई खूबसूरत चित्रकारी को देखकर दंग रह गए। इसके पश्चात मुंबई से निकलने वाली एक प्रतिष्ठित पत्रिका में इस चित्रकला पर लेख प्रकाशित हुआ।

स्वतंत्रता के पश्चात विख्यात संस्कृति कर्मी एवं लुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षणकर्ता पुपुल जयकर की दृष्टि इस क्षेत्र विशेष में पल- फूल रही इस कला की ओर गई और उन्होंने इसे दुनिया के सामने लाने एवं इस कला को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया। इस क्रम में यह अद्भुत कला मिथिला की दीवारों से उतर कर कैनवास पर उकेरी जाने लगी।

घनी चित्रकारी, आड़े- तिरछे लकीरों का अद्भुत संयोजन जिसे मैथिली में "कढ़न" कहते हैं और उसमें भरे गए चटख रंगों का इंद्रधनुष इस कला शैली की विशेषता है जो सहज ही आकर्षित कर लेती है। इसमें भरे गए रंग भी प्राकृतिक होते हैं यथा पीले रंग के लिए हल्दी, लाल रंग के लिए चन्दन और रंग कत्थैत की पत्तियां वहीं भूरे रंग के लिए पलाश के फूलों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि कला को व्यवसाय के रूप में प्रोत्साहन देने हेतु अब कृत्रिम रंगों का प्रयोग भी किया जा रहा है। मुख्य रूप से इस कला में उन्हीं गाथाओं को उकेरा जाता है जो इसकी शैली से मेल खाते हैं। इसमें हिन्दू देवी देवताओं राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सूर्य, चंद्रमा तथा राम विवाह के दृश्य एवं विभिन्न ज्यामितीय डिजाइनों को आकार दिया जाता है।

यह चित्रकला मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही की जाती थी पर अब पुरुष भी इस कला से जुड़ गए हैं। परंतु फिर भी इस कला के क्षेत्र में शीर्ष नामों में महिलाएं ही हैं। पद्मश्री एवं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित महासुन्दरी देवी, जगदंबा देवी, गोदावरी दत्त एवं बिमा दास आदि ऐसे अनगिनत नाम हैं और नित नए नाम जुड़ते जा रहे हैं।

यद्यपि इस अप्रतिम एवं अद्भुत कला को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं तथापि इस दिशा में अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड एवं भारत सरकार इस कला को उसका उचित मूल्य दिलाने एवं उसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध है। पटना स्थित उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना बिहार सरकार द्वारा 1956 में की गई थी द्वारा निःशुल्क मधुबनी चित्रकला का प्रशिक्षण दिया जाता है। असल चुनौती व्यवसायीकरण के इस युग में विभिन्न प्रयोगों से गुज़र रही विरासत में मिली इस अनमोल कला का मूल स्वरूप यथावत रखना है।।

- राजभाषा अधिकारी, आंचलिक कार्यालय, होशियारपुर

सशक्त महिला सशक्त समाज

श्रीमती हरविन्दर सचदेव

हमारे बैंक की प्रथम महिला महाप्रबंधक

आँचलिक कार्यालय, लखनऊ

प्रधान कार्यालय

आँचलिक कार्यालय फरीदकोट

आँचलिक कार्यालय जालंधर

डिजिटलीकरण और पारदर्शी अर्थव्यवस्था

आयुषी जौहरी

डिजिटलीकरण और पारदर्शिता किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ होने की द्योतक दृयोतक है। डिजिटलीकरण और पारदर्शिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। डिजिटलीकरण से कार्यशैली में पारदर्शिता आती है और पारदर्शिता डिजिटलीकरण के तकनीकीकरण द्वारा ही संभव है। पारदर्शिता किसी भी अर्थव्यवस्था को सबल बना सकती है। पारदर्शी अर्थव्यवस्था तभी संभव है, जब हम सेवाओं एवं वस्तुओं के लेन-देन को डिजिटल रूप में विकसित कर सकें।

यदि हम अर्थव्यवस्था का सन्धि-विच्छेद करें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, 'अर्थ' एवं 'व्यवस्था'। अर्थ का तात्पर्य है मुद्रा अर्थात् धन और व्यवस्था का मतलब है एक स्थापित कार्यशैली। इस शब्द का प्राचीन उल्लेख कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रन्थ 'अर्थशास्त्र' में मिलता है। अर्थशास्त्र सामाजिक ज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र संस्कृत शब्दों - अर्थ (धन) और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'धन का अध्ययन'। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक है।

अर्थशास्त्र का प्रयोग यह समझने के लिए भी किया जाता है कि अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है और समाज में विभिन्न वर्गों का आर्थिक संबंध कैसा है। अर्थशास्त्रीय विवेचना का प्रयोग समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है जैसे : अपराध, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य, कानून, राजनीति, धर्म, सामाजिक संस्थान और युद्ध इत्यादि।

प्रो. सैम्युलसन के अनुसार :

'अर्थशास्त्र, कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है।'

प्राचीन काल की अर्थव्यवस्था में वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे। अधिकांश व्यापार सामाजिक समूह के अन्तर्गत ही होते थे। आधुनिक युग में अधिकांश व्यापार यूरोप के देशों द्वारा भिन्न देशों को गुलाम बनाकर किया जाता रहा। अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप में मुद्रा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में वस्तु स्वरूप में मुद्रा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में वस्तु सेवा आदि का व्यापारिक शुद्ध रूप दिखाई देता है। आज के व्यवसाय में अर्थव्यवस्था का आकलन कुल मुद्रा रूप में किया जाता है। मुद्रा द्वारा ही प्राचीन काल में प्रचलित वस्तु आधारित विनिमय प्रणाली का प्रतिस्थापन हुआ। आज के युग में मुद्रा का डिजिटल रूप में लेनदेन संभव है। तकनीकी उन्नति के साथ अर्थव्यवस्था का भी डिजिटलीकरण करने का प्रयास किया गया। मैनुअल बैंकिंग (पेन-पेपर बैंकिंग) को कोर बैंकिंग में परिवर्तित किया गया।

डच संस्कृति का एक विशेष उदाहरण इस प्रकार है :

1960 में डच संग्रहालय द्वारा कम्प्यूटर के अंगीकरण का प्रस्ताव रखा गया। इसका समर्थन करने के लिए मैरीटाईम संग्रहालय को सरकार द्वारा पहली सब्सिडी प्रदान की गई जिससे मैरीटाईम नेटवर्क डिजिटलीकरण के सम्मुख आया। मैरीटाईम नेटवर्क को बढ़ावा देने का उद्देश्य दुरस्थ क्षेत्रों से संग्रह करना था जोकि पहली बार 1975 में चलन में आया। 1980 में कई राष्ट्रीय समितियाँ बनाई गईं जिनके द्वारा शब्द संग्रह विकसित किए गए और पंजीकरण की प्रक्रिया समरूप बनाई गई। 1980 तक राष्ट्रीय स्तर पर संग्रह प्रबंधन के लिए विशाल स्तर पर डिजिटल कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिससे कंप्यूटर का महत्व एवं आवश्यकता बढ़ी। सभी प्रशासनिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाने लगा।

इसी तरह देश-विदेश में कंप्यूटर की चर्चा होने लगी। समय के साथ लोगों में कंप्यूटर के

विषय में जानने की रुचि बढ़ी। सन् 2000 में जब इन्टरनेट चलन में आया तो विश्व में एक क्रांतिकारी बदलाव हुआ। इन्टरनेट ने इस प्रकार लोगों को जोड़ा कि दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क कर पाना कुछ क्षणों का खेल बन गया। डिजिटलीकरण द्वारा लोगों से संवाद करने के तरीके में गहन परिवर्तन आया। सिर्फ संवाद ही नहीं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी इन्टरनेट ने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है।

डिजिटलीकरण तीन प्राथमिक शक्तियों पर आधारित है :

- उपभोक्ता आकर्षण

- प्रौद्योगिकी प्रेरणा

- आर्थिक लाभ

उपभोक्ता आकर्षण से अभिप्राय है किसी भी उत्पाद को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करना। डिजिटलीकरण करके हम न सिर्फ उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देते हैं बल्कि उपभोक्ताओं को सभी वस्तुओं अथवा उसके लाभ से अवगत कराते हैं। डिजिटलीकरण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना आसान होता है। हम न सिर्फ देश का आर्थिक लाभ बढ़ा रहे हैं, बल्कि देश में रोज़गार भी प्रदान कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी तरक्की करके हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं अथवा आर्थिक लाभ में भी वृद्धि इसी के द्वारा संभव है।

तकनीकी उन्नति के साथ ही भिन्न देशों की अर्थव्यवस्था नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है। पूर्णतः विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन बहुत ही कम है। ऐसे देशों के नागरिक नकदी रहित अर्थव्यवस्था पर भरोसा रखते हैं। नकदी

रहित समाज में हम सम्पूर्ण लेनदेन बैंकों में खातों के जरिए करते हैं। इससे अर्थव्यवस्था और भी प्रबल दिखती है। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आती है जोकि देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

वेबसाइट worldatlas.com के द्वारा नवम्बर 2016 में जारी की गई रिपोर्ट के आधार पर बेल्जियम देश नकदी रहित देशों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। बेल्जियम देश में 63 प्रतिशत मुद्रा का लेनदेन नकदी-रहित अथवा डिजिटल रूप में होता है। औसत 86 प्रतिशत बेल्जियम देश की आबादी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करती है। फ्रांस एवं कनाडा देश नकदी-रहित देशों की श्रेणी में दूसरे या तीसरे स्थान पर हैं। भारत देश में सिर्फ 2 प्रतिशत लेनदेन डिजिटल रूप से किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक झलक :

भारत एक विकासशील देश है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अप्रैल 2014 में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2011 के विश्लेषण में विश्व बैंक ने क्रयशक्ति समानता के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया। 2003 में यह 10वें स्थान पर थी। 2003-2004 में भारत विश्व में 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। प्रति व्यक्ति सकल आय देखी जाए तो भारत, विश्व बैंक के अनुसार, 2003 में 143वें स्थान पर था तथा 2013 में भारत को 181वां स्थान प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यू.एन.एस.डी.) के राष्ट्रीय लेखों के प्रमुख समाहार डाटाबेस, दिसंबर 2013 के आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार भारत 10वें स्थान पर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में भारतीय बैंकों का विशेष योगदान है। नई-नई तकनीकों का आविष्कार करके बैंक मैनुअल प्रसंस्करण प्रतिस्थापित करने की दिशा में अग्रसरित है। आज के युग की बैंकिंग को सरल व ग्राहकों की आवश्यकता के अनुरूप बनाने की कोशिश का जा रही है जैसे कि बैंक जनसाधारण से पूर्णतः जुड़ सकें। भविष्य में होने वाला मुद्रा का संपूर्ण लेनदेन बैंक खातों द्वारा ही किया जाएगा। इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए बैंकों एवं भारत सरकार ने कुछ विशेष कदम उठाए जो कि इस प्रकार हैं :

बैंक द्वारा दी गई सुविधाओं का डिजिटलीकरण :

बैंकों द्वारा दी गई अनेक सुविधाओं को डिजिटल रूप में विकसित कर दिया गया है। हर बचत खाते में ए.टी.एम. अनिवार्य कर दिया गया है। अन्य विशेष सुविधाएँ जैसे टेली बैंकिंग, वीडियो बैंकिंग, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, तत्काल भुगतान सेवा (आई.एम.पी.एस.), एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यू.पी.आई.), (सी.टी.एस. 2010) चेक ट्रंकेशन सिस्टम आदि सेवाओं ने बैंकिंग की रूपरेखा बदल दी है। किसी भी प्रकार का भुगतान अब क्षणों में ही संभव है अथवा जनमानस के लिए सुविधाजनक है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम :

डिजिटल इंडिया डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था की ओर एक पहल है। अंकीय भारत या डिजिटल भारत सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक

दूसरे के समीप लाने की भारत सरकार की एक पहल है। इसके द्वारा सरकारी विभागों को देश की जनता के साथ जोड़ने अथवा जनता का इन्हीं सरकारी विभागों पर विश्वास बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार सरकारी सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना कागज का प्रयोग किए, जनता तक पहुँचाई जा सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को भी हाई स्पीड इन्टरनेट से जोड़ा जाना संभव है।

ग्रामीण क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण निम्न है :

ग्राम बालेंगा, छत्तीसगढ़ :

भारत के राज्य छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले के बस्तर ब्लॉक का ग्राम बालेंगा, राज्य का पहला डिजिटल गांव बना। बालेंगा गांव का देश के डिजिटल नक्शे में शामिल होना ही बेहद गर्व की बात है। इसके साथ ही बालेंगा ई-गांव के रूप में एक अच्छी पहचान बना चुका है।

डिजिटल इंडिया के तीन घोर घटक इस प्रकार है :

- डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुँचाना।
- डिजिटल साक्षरता

भारत सरकार की इस योजना को 2016 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य है। इस योजना को इस प्रकार लागू किया जाएगा कि इससे प्रदाता और उपभोक्ता दोनों को ही लाभ मिले। इस योजना के अंतर्गत सभी मंत्रालय तथा विभाग अपनी सेवाएँ, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायिक सेवा आदि जनता तक पहुँचाएँगे। इस योजना को मोदी प्रशासन की टॉप प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में रखा गया है।

परन्तु इस योजना का कार्यान्वयन करने के उपरान्त कई बाधाएं भी नज़र आती हैं, जैसे लीगल फ्रेमवर्क, गोपनीयता का अभाव, डाटा सुरक्षा नियमों की कमी, नागरिक स्वायत्ता हनन, भारतीय ई-सर्विलांस के लिए संसदीय निगरानी की कमी, भारतीय साइबर असुरक्षा आदि। इन बाधाओं को दूर करने के लक्ष्य की ओर भारत सरकार अग्रसर है।

जनवितरण प्रणाली (राशन कार्ड) :

जनवितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने के मकसद से देश के करीब 67 प्रतिशत राशन कार्डों के डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक करीब पौने चार करोड़ फर्जी राशन कार्ड खारिज किए गए हैं। यह जानकारी खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान ने दी है। गरीब परिवारों तक खाद्यान्न उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2008 में नौ-सूत्री कार्यान्वयन योजना लागू की गई थी। इसके अलावा 12वीं पंचवर्षीय योजना में भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता का आह्वान किया गया था। 2013 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में प्रावधान किया गया था कि राज्य सरकारें और संघशासित प्रदेश प्रशासन या तो गरीब परिवारों को सीधे लाभ का हस्तांतरण करें या उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक बिक्री मशीनें स्थापित करें। इन प्रयासों से विगत दो वर्षों में 4200 करोड़ रुपये के नुकसान को रोका जा सका। 500 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र दुकानों में लगाए गए हैं और मार्च 2017 तक 3.82 लाख करने का लक्ष्य है।

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) - एक खेल परिवर्तक

सन् 2000 में वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में राज्य वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई। इसे बनाने का उद्देश्य वर्तमान करों को हटाकर नए 'वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी. बिल) को लाने के लिए मॉडल बनाना था। यह एम्पावर्ड कमेटी पश्चिम बंगाल के वित्त और एक्साइज मंत्री श्री असीम दासगुप्ता के प्रतिनिधित्व में काम कर रही थी। 3 अगस्त 2016 को हमारे देश में वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत किया गया कर संबंधी-जी.एस.टी. बिल। सरल शब्दों में कहा जाए तो अब सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक नया कर लगेगा। साथ ही पहले जो कर लगते थे वे अब नहीं लगेंगे। जी.एस.टी. (अमेंडमेंट) बिल, जिसे राजकीय तौर पर The Constitution (122 Amendment) GST Bill, 2014 के नाम से जाना जाता है, देश के कर संबंधी ढांचे में स्वतंत्रता के बाद यह सबसे बड़ा सुधार है जिसका फायदा आम आदमी को होगा। यह बिल राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया, जिसे लोकसभा द्वारा मई, 2015 में पारित किया जा चुका था।

उपरोक्त बतलाए गए महत्वपूर्ण कदम भारत देश की आर्थिक उन्नति की ओर संकेत करते हैं। इनके द्वारा अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सकती है अथवा अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण किया जा सकता है जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नति कर सकते हैं। पारदर्शिता से हम भ्रष्टाचार जैसे श्राप से मुक्ति पा सकते हैं। भ्रष्टाचार भारत के

अधिक अथवा सम्पूर्ण विकास में बाधा है।

भ्रष्टाचार को मापने में भ्रष्टाचार बोध सूचक सहायक है। भ्रष्टाचार बोध सूचक ट्रान्सपेरेंसी इंटरनेशनल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी गैर-सरकार संगठन द्वारा प्रकाशित एक तालिका है जिसमें हर वर्ष विश्व के अधिकांश देशों को उनमें "विशेषज्ञ आंकलन और मत-सर्वेक्षण के आधार पर बोध होने वाले भ्रष्टाचार के स्तर को मापा जाता है और देशों को सबसे कम से सबसे अधिक भ्रष्टाचार की श्रेणियों और पदों में डाला जाता है। भ्रष्टाचार बोध सूचक भ्रष्टाचार की परिभाषा 'निजी लाभ के लिए सरकारी शक्ति का दुरुपयोग" देता है। यह सूचक तालिका सन् 1995 से प्रतिवर्ष छप रहे हैं और 2012 में इसमें 186 देशों को 100 (अति-स्वच्छ) से 0 (अति-भ्रष्ट) तक के आंकड़े दिए गए थे। 2016 में प्रकाशित की गई तालिका के अनुसार भारत में 60 प्रतिशत भ्रष्टाचार है अथवा 176 देशों में वह 76वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड एवं डेनमार्क ने तालिका में 60 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। डेनमार्क देश में करीब एक तिहाई आबादी नकदी रहित लेनदेन करती है।

इस प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि पारदर्शिता किसी भी अर्थव्यवस्था में लाने के लिए डिजिटलीकरण अथवा नकदी रहित लेनदेन को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किए गए विमुद्रीकरण से भारत देश में भी नकदी-रहित लेनदेन को बढ़ावा मिला है जो कि देश के विकास में सहायक है। विमुद्रीकरण द्वारा करोड़ों का काला धन समाज से विनष्ट किया गया है। सकल घरेलू आय में भी हम बढ़ोतरी देख सकते हैं। इसी तरह भविष्य में भी भारत एवं सभी देश नई-नई नीतियों द्वारा उत्थान की ओर अग्रसर रहेंगे और पूरे विश्व में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करके पूर्ण रूप से विकसित हो पाएंगे।

अधिकारी, शाखा उन्नाव, कानपुर

ज़रा सोचिए......?

राजिंदर सिंह बेवली

दिल्ली मेट्रो में चार पांच लोग ही उस समय खड़े थे। मुझे थोड़ा बुजुर्ग देखकर एक महिला ने अपने बेटे को उठने के लिए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, साइड में खड़ी 28-30 साल की एक लड़की उस सीट पर झट से बैठ गई। अपने बेटे को उठाने वाली महिला ने खुद उठते हुए मुझे बैठने के लिए कहा। शुक्रिया करते हुए मैंने कहा कि प्लीज आप मत उठिए.... भगवान ने मुझे अभी इतना बीमार बुजुर्ग नहीं बनाया है कि मैं खड़ा न हो सकूं और वैसे भी मैं तो बिलकुल ठीक ठाक हूं और अभी तक कोई दवा नहीं खाता हूं। मुझे सीट की जरूरत भी नहीं है।

सीट पर बैठते हुए वह बोली.... बहुत खुशी हुई आपको देख कर। मेरी उम्र आपसे काफी कम है किंतु फिर भी कुछ दवाएं नियमित रूप से लेती हूं। मैंने कहा कि मैं कभी किसी जवान को सीट से उठने के लिए नहीं कहता बल्कि बैठने से मना करने की कोशिश ही करता हूं। मैं सोचता हूं कि हमारे युवा साथी भी तो थक सकते हैं। पता नहीं वे किन परिस्थितियों में सफर कर रहे होते हैं ..... नौकरियां मिलना कहां आसान है आजकल। क्यों मैं सिर्फ इसलिए उन्हें उठा दूं कि उनकी उम्र कम है। वैसे भी थकावट का संबंध हमारे शरीर से अधिक हमारी सोच से होता है। हां यदि हम बीमार हैं या खड़े होने की क्षमता नहीं रखते तो बात और है और ऐसे में बहुत से हमारे युवा साथी बिना बोले सीट दे भी देते हैं।

मुझे दुःख होता है मेट्रो की लिफ्ट में बुजुर्गों को यह कहता सुनकर कि ये जवान हैं... हट्टे-कट्टे हैं और फिर भी शर्म नहीं आती इन्हें लिफ्ट में चढ़ते हैं। मैं उन बुजुर्गों से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप पूरी दिल्ली घूमकर, या पूरा दिन अपनी नौकरी करके शाम को अपने घर लौटने की क्षमता रखते हैं तो एक लिफ्ट का इंतजार भी आप कर ही सकते हैं। क्या बच्चे केवल इसलिए लिफ्ट पर न जाएं क्योंकि वे जवान हैं! हम भी तो गौर करें ..... क्यों?

जरा सोचिए.....

- सहायक महाप्रबंधक एवं संपादक

काव्य मंजूषा

श्री पवन जैन, वरिष्ठ प्रबंधक, (राजभाषा) के सुपुत्र स्वर्गीय मानव जैन की कैंसर से असमय मृत्यु हो गई है। प्रस्तुत कविताओं में पहली कविता 'मानव' की है जो मृत्यु से कुछ ही समय पहले लिखी गई थी और शेष कविताएँ पिता श्री पवन जैन के उद्गार हैं।

बहती हुई लाल बूंदों की धार है,
संभालना कहीं काम न हो गया हो जैसे
नाइट ड्यूटी का वार है।
ढूंढ रहा हूँ उस नदी के काले साँप को,
जो अभी तक चुपके से काट रहा है।
और दर्द चार गुना ज्यादा दे रहा है।
पर सोच लो जिस दिन तुम्हारी गर्दन हाथ लगी,
उसी दिन सीधे चायना के हवाले कर दूंगा,
तब ऑथेंटिक एवं डायजेस्टिव स्नेक करी से ही
कोई तुम्हें अलविदा करेगा।

... मानव जैन

स्मृति शेष....

तुम हाथ छुड़ाकर रूठ गए,
बीच सफर में ही छूट गए,
बूढ़े कंधों पर तो ना जाते,
क्यों करम हमारे फूट गए।

जाने तुम किस लोक में होगे,
फिर से माँ की कोख में होगे,
या जन्मांमरण से मुक्ति पाकर
परम-पिता की गोद में होगे।

मंज़िल दूर थी मगर बस तुम्हारा साथ इतना था,
दिल से दिल का किया सफर अखलाक इतना था,
तेरे काबिल बना लूं यह दुनियाँ मेरी कूवत तो नहीं,
अंजाम बेहतर होता, खूबसूरत आगाज इतना था।

तुम जीते तो शायद हम भी जी भर जीते,
सुख के दरिया से संग - रस छक कर पीते,
नियति तेरी नीयत का रहा ऐतबार नहीं,
हरी भरी दुनिया में है अब हाथ हमारे रीते,
तुम जीते तो शायद हम भी जी भर जीते।

मेरे लिए तो धरोहर है तुम्हारे होने का एहसास,
कभी-कभी तो लगता है यहीं कहीं हो आसपास,
तेरा आना, तेरा रहना और बेवक्त का चले जाना
जैसे रुक गया मेरा भूगोल और थम गया इतिहास।

करवटें हम भी बदलते तो हैं मगर,
वक्त की करवट ने हमको बदल दिया।

हम जी रहे हैं देखो अब तो तेरे बगैर,
होंठों को सी रहे हैं अब तो तेरे बगैर,
रखना अब खुद ही अपना तुम ख्याल,
हम गम को पी रहे हैं, अब तो तेरे बगैर।

पवन कुमार जैन
आँचलिक कार्यालय,
मुंबई

ग्राहक के मुख से

राजेन्द्र कुमार पिशौरिया

''जहां सेवा ही जीवन ध्येय है'', अपनी पंचलाईन को सार्थक करता है मेरा अपना बैंक पंजाब एण्ड सिंध बैंक। जी हां! मैंने इसे मेरा अपना बैंक इसलिए कहा है क्योंकि जो अपनत्व, प्यार, सम्मान, भरोसा मुझे यहां से मिला है शायद वो किसी को केवल एक परिवार में ही मिल सकता है।

मैं राजेन्द्र कुमार पिशौरिया, मैसर्स अमर इण्डिया वूलन मिल्स् लिमिटेड कंपनी में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की भूमिका निभा रहा हूं तथा मेरा पुत्र संदीप पिशौरिया बतौर अध्यक्ष इस कंपनी को चला रहा है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक से मेरा नाता आज से करीब 20 वर्ष पहले लगभग 1997 से भी पूर्व का है जब हमने इस बैंक की औद्योगिक वित्त शाखा अमृतसर से अपनी पहली ऋण सीमा स्वीकृत करवाई थी। इस समय औद्योगिक वित्त शाखा अमृतसर का विलय शाखा हाल बाजार अमृतसर के साथ हो गया है और यहाँ भी हमें वही अपनापन, सहयोग, भरोसा प्राप्त हो रहा है। शाखा में हमारा खाता ''मैसर्स अमर इण्डिया वूलन मिल्स् (प्रा.) लिमिटेड'' के नाम से है।

यूं तो मैसर्स अमर इण्डिया वूलन मिल्स लिमिटेड 1978 से निगमित है। उस समय इस कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों और मशीनरी की संख्या सीमित ही थी। यह कंपनी ऊनी कंबल, ट्वीड, कोजर्स और अन्य ऊनी कपड़ों का निर्माण करती है। बैंक के सहयोग तथा सकारात्मक रवैये से हमारा कार्य इतना बढ़ गया कि आज हमारा व्यापार करोड़ों में है। इस समय कंपनी के पास 29 पॉवर लूम्स (Power Looms), 2 वार्पिंग (बुनाई) मशीनें (Warping Machine), 7 पर्न वाईंडिंग (Pern Winding), 1 कोन वाईंडिंग (Cone Winding), 2 साटिन सिलाई (Satin Stitching), 1 व्हिपिंग बॉर्डर मशीनें (Whipping Border Machine) हैं।

इस कंपनी के अन्य कर्मचारियों ने भी बैंक से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं ली हैं। इस बैंक के साथ जुड़ना अब जुड़ाव में बदल चुका है। हमारे व्यापार में आशातीत वृद्धि के लिए ईश्वर की कृपा, हमारे तथा हमारे कार्मिकों के परिश्रम के साथ-साथ पंजाब एण्ड सिंध बैंक की भूमिका को भी नजर अंदाज़ नहीं किया जा सकता। समय-समय पर बदलते शाखा प्रबंधकों के साथ-साथ बैंक के अन्य सभी स्टाफ सदस्य भी बेहतर ग्राहक सेवा की एक मिसाल हैं। इसे मैं केवल एक अच्छी ग्राहक सेवा ही नहीं, बल्कि उत्कृष्टतम सेवा की एक मिसाल कहूँगा।

हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि बैंक तरक्की के शिखर को छूते हुए इसी प्रकार अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता रहे।

सादर।

राजेन्द्र कुमार पिशौरिया
मैसर्स अमर इण्डिया वूलन मिल्स् (प्रा.) लिमिटेड
सुलतानविंड गेट, अमृतसर

प्रादेशिक भाषा
गुजराती

योग दिवस

આંતરરાષ્ટ્રીયયોગદિવસ

યોગઆપણાભારતદેશમાં૫૦૦૦વર્ષપહેલાથીપ્રચલિતછે.યોગશારીરિક,માનસિકઅનેઆધ્યાત્મિકશક્તિ પૂરીપાડેછેઅનેતેઆપણનેશારીરિકઅનેમાનસિકરીતેશક્ષમબનાવેછે. તારીખ૧૧.૧૨.૨૦૧૪નારોજયુનાઈટેડનેશન્સજનરલએસેમ્બલીએતારીખ૨૧. જૂનનાદિવસનેઆંતરરાષ્ટ્રીયયોગદિવસતરીકેજાહેરકરેલછે.

૨૦૧૫થીદરવર્ષે૨૧જૂનનેદિવસેઇન્ટરનેશનલડેઓફયોગાદિવસતરીકેઉજવવામાંઆવે છે.યુનાઈટેડનેશનનાઆપગલાંનેકારણેયોગનેપુરીદુનિયામાંનવીઓળખમળશે માનનીયવડાપ્રધાનશ્રીનરેન્દ્રમોદીજીદ્વારા૨૧જૂનનેઆંતરરાષ્ટ્રીયયોગદિવસ તરીકેમનાવવાયુનાઈટેડનેશનમાંસૂચનકર્યુંહતું.અમેરિકા ,ચીન ,કેનેડાસહીતદુનિયાના૧૭૭દેશોએતેનેસમર્થનઆપ્યુંહતું. માનનીયવડાપ્રધાનશ્રીનરેન્દ્રમોદીજીએ૨૭.૦૯.૨૦૧૪નેરોજયુ એન એસેમ્બલીમાંજણાવ્યુંહતુંકેયોગએભારતતરફથીપુરીદુનિયાનેઆપવામાંઆવેલ એકઅનમોલભેટછે આંતરરાષ્ટ્રીયયોગદિવસનુંપ્રતીકબેહાથજોડીનેપ્રકૃતિઅનેમનનીએકતાદર્શાવે છે.યોગપ્રતીકબધાનેસુમેળઅનેશાંતિનોસંદેશઆપેછે. આપણેસૌજાણીએછીએકેવર્ષોપહેલાઆપણાઋષિમુનિઓયોગશક્તિથીઘણાવર્ષોસુધી ભૂખ્યાઅનેતરસ્યારહીનેધ્યાનઅનેતપકરતાહતા.

આપણેસૌએઅત્યારનેપ્રદુષિતઅનેભાગદોડમાંઆપણીશારીરિકઅનેમાનસિકતંદુરસ્તીજાળવવામાટેયોગખુબજરૂરીછે.જેનાદ્વારાઆપણામનઅનેતનનેતંદુરસ્તરાખીશકીએછીએ. યોગદરેકવ્યક્તિનાજીવનમાંશારીરિકઅનેમાનસિકશક્તિનોવિકાસતેમજસુમેળકરીનેવ્યક્તિગતજીવનમાંશાંતિપ્રદાનકરેછેઅનેજીવનમાંથીનકારાત્મકતાનેદૂરકરીનેસ્વસ્થઅનેસુખીઆનંદિતજીવનજીવવામાંમદદકરેછે.

"પહેલુંસુખતેજાતેનર્યા"

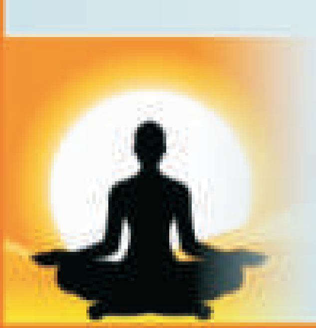

નવનીત કણઝારીયા
રીડરોડઅમદાવાદ

पर विशेष

हिंदी में

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

योग अपने भारत देश में 5000 वर्ष पूर्व से प्रचलित है। योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति पूरी करता है और अपने को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम बनाता है। दिनांक 11.12.2014 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेम्बली ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था।

वर्ष 2014 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के इस निर्णय के कारण योग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनायी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने हेतु संबोधन दिया था जिसका अमेरिका, चीन, कनाडा सहित दुनिया के 175 देशों ने समर्थन किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 21.09.2014 के दिन संयुक्त राष्ट्र असेम्बली में बताया कि योग भारत की तरफ से पूरी दुनिया को दी हुई एक अनमोल भेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रतीक दो हाथ को जोड़कर शरीर और मन की एकाग्रता को दर्शाता है और सामंजस्य एवं शांति के लिए योग के महत्व को प्रतिबिंबित करता है।

योग सभी को सुमेल एवं शांति का संदेश देता है। योग सभी के जीवन में शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास एवं सुमेल करके व्यक्ति के जीवन में शांति प्रदान करता है और जीवन को नकारात्मकता से दूर करके स्वस्थ, सुखी एवं आनंदित जीवन जीने में मदद करता है।

पहला सुख निरोगी काया।

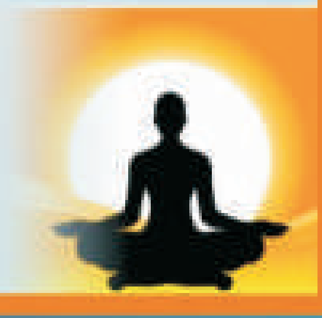

नवनीत कंजारिया
रीड रोड, अहमदाबाद

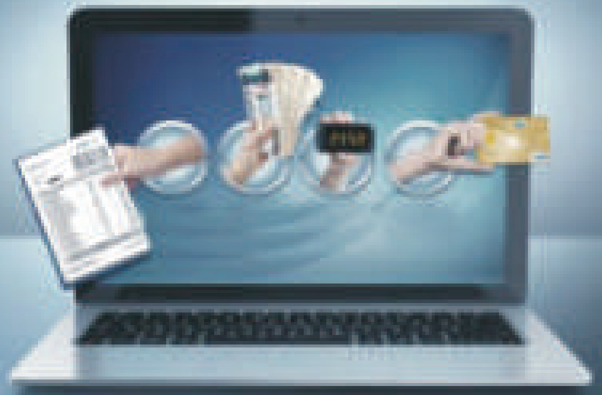

इंटरनेट बैंकिंग

मोहन लाल

भारत में जिस प्रकार फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति आई थी, व दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति आई थी, उसी प्रकार आज के वैज्ञानिक युग में विश्व की जानकारी हाथों में रखने के लिए इंटरनेट क्रांति आई है। आज इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग बहुत ही बढ़ गया है। बैंकिंग क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई-बैंकिंग आदि... लेकिन इंटरनेट बैंकिंग के कई नाम होते हुए भी इन सबका अर्थ एक ही है ।

वैसे लोगों को तो अब ऑनलाइन बैंकिंग की जानकारी हो चुकी है, फिर भी यह जान लेना ठीक रहेगा कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या है। ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट पर बैंकिंग संबंधी मिलने वाली एक सुविधा है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का इस्तेमाल कर, उपभोक्ता बैंकों के नेटवर्क और उनकी वेबसाइट पर अपनी पहुंच बना सकता है और घर बैठे ही शॉपिंग, मनी ट्रांसफर के अलावा अन्य सभी कार्यों और लिए बैंकों से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। इस संबंध में सबसे जरूरी है कि किसी भी नेटबैंकिंग सेवा के इस्तेमाल से पहले उस बैंक के दिशा-निर्देशों को पढ़ लेना चाहिए क्योंकि सभी बैंकों के दिशा-निर्देश एक जैसे नहीं होते अलग-अलग होते है ।

इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ :

किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है ।

वित्तीय मामले निपटने के लिए आज अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग करते हुए बैंक नए ग्राहक वर्ग को जोड़ने और ट्रांजेक्शन बढ़ाने के शानदार अवसर जुटा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग वित्तीय मामले निपटाने का एक आसान तरीका है। इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग का वो आधुनिक स्वरूप है, जिसमे ग्राहक को पारंपरिक बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और अपने वे सभी बैंकिंग कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें बैंक में जाना पड़ता है।

इंटरनेट बैंकिंग के लाभ :-

- यह सुविधा भारत व अन्य देशों में व्यावसायिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाती है। इसकी सहायता से कोई भी खाताधारक इंटरनेट के माध्यम से अपने खाते संबंधी जानकारियों को देख सकता है और वित्तीय और गैर वित्तीय लेन-देन भी कर सकता है।
- इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है जैसे कंप्यूटर खरीदने, मोबाइल खरीदने, घर में प्रयोग होने वाला समान खरीदने इत्यादि के लिए भी इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग किया जाता है।ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते है तथा अपने कारोबार से संबन्धित जानकारी ले सकते है ।
- इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग भुगतान के लिए किया जाता है जैसे बिजली के बिल का भुगतान, पानी के बिल का भुगतान, टेलीफोन के बिल का भुगतान तथा अन्य बिलो का भुगतान करना के लिए किया जाता हैं ।
- इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग हवाई जहाज टिकट, रेल टिकट, बस टिकट बुक करने के लिए भी किया जाता है
- इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग आयकर,नगर

पालिका कर के भुगतान के लिए भी किया जा सकता है।

- इसकी सहायता से आप प्रीपेड मोबाइल, DTH, इत्यादि रिचार्ज भी कर सकते हैं।
- इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग से नगद यानी काला धन का उपयोग घटने लगा है और सरकार द्वारा कर की उगाही (टैक्स कलेक्शन) में वृद्धि होती है. इस धन का उपयोग सरकार जनकल्याण में करती है।
- इंटरनेट बैंकिंग से आप बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग कर सकते है या शिकायत दर्ज कर सकते है।
- इंटरनेट बैंकिंग के आप अपने मोबाइल फोन का भी प्रयोग कर सकते है। यदि आपके पास बैंक जाने या कंप्यूटर पर बैंकिंग करने का टाइम नहीं है तो आप अपने फोन से भी ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने फोन को हमेशा लॉक रखें और पासवर्ड किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर न करें।

इंटरनेट बैंकिंग के प्रयोग के लिए सावधानियाँ :

ऑनलाइन बैंकिंग को अक्सर लोग सामान्य बैंकिंग की ही तरह समझ लेते हैं, जबकि सामान्य बैंकिंग के मुकाबले इसमें बेहद सावधान रहने की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है यदि आपने एक बार ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर लिया, तो प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन अपने अकाउंट को चेक करें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में बैंक को तुरंत सूचना दें। लंबे समय तक ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करने से आपको अपने अकाउंट में होनेवाली किसी गड़बड़ी का पता नहीं चल सकेगा। आपके अकाउंट में हैकर्स द्वारा किए गए किसी हेराफेरी के लिए बैंक खुद को जिम्मेदार नहीं मानता और न ही इस संबंध में किसी बीमे की व्यवस्था होती है।

जैसे-जैसे इंटरनेट की जरूरत और उपयोगिता बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और ऑनलाइन बैंकिंग पर भी साइबर अपराधियों की नजर लगी ही रहती है। ऑनलाइन बैंकिंग की असावधानी के कारण अक्सर अकाउंट में हेराफेरी के मामले सामने आते ही रहते हैं। इसके लिए हर व्यक्ति के लिए ये सावधानियाँ जरूरी हैं :-

- खाताधारक को शाखा से प्राप्त पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं। यह पासवर्ड आपके खाते की चाबी है।
- खाताधारक को अपना पासवर्ड लिखित रूप में कहीं पर नहीं रखना चाहिए इससे पासवोर्ड किसी अन्य के हाथ में जाने की संभावना हो सकती है।
- इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने के बाद खाताधारक को अपना खाता लॉग-आउट अवश्य करना चाहिए। जिससे उसका अकाउंट सुरक्षित रहेगा।
- इंटरनेट बैंकिंग के लिए यह अति आवश्यक है कि खाताधारक अपना डेबिट कार्ड, ए टी एम कार्ड संभालकर रखे अगर वह गुम हो जाए तो इसकी सूचना तुरंत बैंक को दे।
- दो या तीन दिन बाद अपना अकाउंट अवश्य चेक करें।
- इंटरनेट बैंकिंग के लिए यह आवश्यक है कि खाताधारक बैंक में अपना मोबाइल न तथा ई-मेल अवश्य दर्ज करवाए।
- साइबर कैफे का इस्तेमाल ऑनलाइन बैंकिंग के लिए न करें, यदि करना भी पड़े तो तुरंत अपना पासवर्ड बदल दें। सही यही होगा कि अपना कंप्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल ऑनलाइन बैंकिंग के लिए करें।
- किसी भी व्यक्ति के फोन करने पर उसे अपने बैंक खाते का पासवर्ड, या अन्य गुप्त जानकारियां न बताएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या संदेह होने पर बैंक के फोन नंबर पर कॉल करके तुरंत सूचना दें।
- आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करें तो हमेशा ओटीपी कोड का प्रयोग करें। ओटीपी कोड आपके मोबाइल पर आता है जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं। बैंक द्वारा इसको भेजा जाता है और यह केवल 15 मिनट के लिए वैलिड

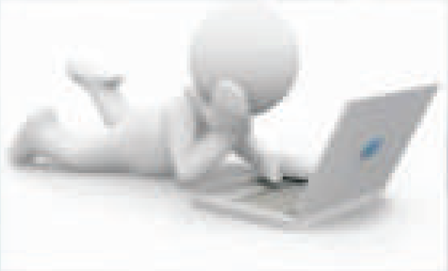

होता है। इसके साथ ही आप अपने नेटबैंकिंग अकाउंट में लॉग-इन करने के लिए हमेशा रेगुलर की-बोर्ड के बजाए वर्चुअल की-बोर्ड का इस्तेमाल करें।

- इंटरनेट का प्रयोग नेट बैंकिंग के लिए करें तो अपने अकाउंट को लॉग-इन करने के लिए हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड बनाने के लिए कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल न करें। पासवर्ड में स्पेशल करेक्टर और नंबर का प्रयोग करें। इसके साथ-साथ पासवर्ड में अपर केस और लोअर केस में कैरेक्टर का प्रयोग जरूर करें। अपने पासवर्ड को हर एक महीने में बदलते रहें।

- हम सभी को लॉटरी या डोनेशन संबंधी मेल आती है, इस मेल पर अक्सर आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा जाता है। आप किसी भी ऐसी मेल का जवाब न दें जहां आप से नेट बैंकिंग की जानकारी, पासवर्ड या जन्म तिथि, माँ का मिडल नाम आदि जैसी जानकारी मांगी जा रही हो।

- नेट बैंकिंग में यूज़र आई डी हमारा सिग्नेचर है और पास-वर्ड हमारा फिंगरप्रिंट है। इसलिए हमें अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड किसी के साथ सांझा नहीं करना चाहिए।

- राजभाषा अधिकारी, आंचलिक कार्यालय
चेन्नई

गुरदासपुर अंचल के शाखा प्रबंधकों की बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिन्दरबीर सिंह (आई.ए.एस.) आंचलिक प्रबंधक श्री बलबीर सिंह ग्रोवर (दाएं) तथा वरिष्ठ प्रबंधक श्री सुखदेव सिंह भट्टी (बाएं)।

बैंक और उसके विशेष ग्राहक

जगमोहन सिंह मक्कड़

आजकल बैंकों में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, क्योंकि सभी बैंक एक जैसी सुविधाएं (प्रोडक्ट) प्रदान करते हैं। अतः केवल ग्राहक सेवा ही किसी बैंक को प्रतिस्पर्धा में आगे ले जा सकती है और उसके लिए जरूरी है कि ग्राहक सेवा प्रदान करने वाले सभी बैंक कर्मचारियों को अपने बैंक द्वारा प्रदान की जाने सभी प्रकार की सुविधाओं (प्रोडक्टस) के बारे में अद्यतन ज्ञान होना चाहिए ताकि हमारे स्टाफ सदस्य ग्राहकों को, उनके हर तरह के प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दे सकें और उनकी शंकाओं का निवारण कर, अपने बैंक के साथ आसानी से जोड़ सकें। इस प्रकार की सामान्य सी जानकारी भी अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा में अच्छी तरह से खड़ा होने में सहयोग देगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने बैंक द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया गया है :

बैंक द्वारा खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाते -

ए) नाबालिगों के खाते

i) भारतीय बालिग अधिनियम की शर्तों के अनुसार, 18 वर्ष की आयु से कम वाला व्यक्ति नाबालिग है, लेकिन जिसका अभिभावक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है, वह 21 वर्ष की आयु में बालिग होगा।

ii) नाबालिग बचत बैंक खाता खोल सकता है और यही खाता स्वाभाविक अभिभावक/अभिभावक द्वारा परिचालित किया जा सकता है। खाता संयुक्त रूप से भी खोला जा सकता है।

नाबालिग खाते के ढांचे के भीतर नाबालिग के नाम पर किसी भी प्रकार का जमा खाता खोलना स्वीकार्य है - लेकिन कोई चालू खाता नाबालिग के नाम पर नहीं खोला जाना चाहिए और ना ही इस प्रकार के जमा खातों में ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी

iii) बालिग होने पर, तत्कालीन नाबालिग को उसके खाते में शेष राशि की पुष्टि करनी चाहिए और यदि खाता स्वाभाविक अभिभावक/अभिभावक द्वारा परिचालित किया जा रहा है तो स्वाभाविक अभिभावक द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए नाबालिग के नए नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएं, और परिचालन उद्देश्यों के लिए उसी को रिकॉर्ड में रखा जाए।

iv) बैंक आम तौर पर 10 वर्ष की आयु से अधिक साक्षर नाबालिग को बचत बैंक खाता और आवर्ती जमा खाता परिचालित करने के लिए अनुमति देता है। जब इस तरह का खाता खोला जाता है तो बैंक नजर रखता है कि नाबालिग भुगतान खुद प्राप्त कर रहा है।

v) एटीएम/डेबिट कार्ड 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता/अभिभावक की सहमति ले कर जारी किया जा सकता है।

vi) एटीएम नकद निकासी सीमा और खरीदारी करने के लिये (बिक्री या ई-कॉमर्स के बिन्दु पर) प्रतिदिन 5000/- तक की ही अनुमति होगी।

vii) ऐसे खातों पर जमा खाता खोलने के अन्य सभी नियम लागू होंगे जैसे कि खाता खोलने के लिये उचित परिचय प्राप्त करना हो या पते का अप्रत्यक्ष सत्यापन करना इत्यादी। और केवाईसी नीति के अनुसार सभी अन्य केवाईसी मानदंडों को अपनाया जाना चाहिए।

viii) इन खातों में कोई न्यूनतम शेष निर्धारित नहीं है इसलिये इन खातों में कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, भले ही

शेष राशि किसी भी समय शून्य से नीचे हो जाए।

ix) खाते में अधिकतम शेष 50000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल क्रेडिट 100000/- से अधिक नहीं होगा

x) नाबालिग खाता धारक को चेक बुक की सुविधा प्रदान की जा सकती है और नकद निकासी केवल स्वयं के लिए चेक बुक/वापसी स्लीप के माध्यम से ही सीमित होगी। ऐसे मामलों में नाबालिग को जारी की गई चेक बुक को "केवल स्वयं वापसी की अनुमति" के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

xi) जब नाबालिग 18 वर्ष/21 वर्ष (जैसा भी मामला होगा) की आयु का हो जाता है, तो खाता नियमित बचत बैंक जमा खाते में परिवर्तित किया जाएगा।

बी) अनपढ़ व्यक्तियों के खाते

i) बैंक अपने विवेक से अनपढ़ व्यक्तियों के नाम से बचत खाता और मीयादी जमा खाता खोल सकता है बशर्ते खाते का यथोचित परिचय दिया गया हो।

ii) सामान्यतः साक्षर व्यक्तियों के साथ अनपढ़ का कोई संयुक्त खाता बैंक द्वारा नहीं खोला जाता, क्योंकि अनपढ़ भोला है और साक्षर, खाता आयोजित करने की आड़ में धोखाधड़ी कर सकता है। यद्यपि, पति और पत्नी के संयुक्त खातों के मामले में, और निरक्षरों के विशेष अनुरोध पर बैंक द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

iii) अनपढ़ व्यक्तियों के नाम से चालू खाते और अनिवासी खाते नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा अनपढ़ खाताधारकों को चेक बुक भी जारी नहीं की जाएगी।

सी) दृष्टिहीन विकलांग/नेत्रहीन व्यक्तियों के खाते :

दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों को सामान्य सावधानियों और सभी बैंकिंग सुविधाओं (जैसा कि नीचे दिया गया है) के साथ खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन उसी समय ग्राहकों को इन सुविधाओं के अधिक से अधिक जोखिम के बारे में बताया जाएगा जोकि सामान्य ग्राहक के लिए कम और उनके लिए अधिक होते हैं।

क) तीसरे पक्ष के चेक सहित चेक बुक सुविधा

ख) एटीएम सुविधा

ग) नेट बैंकिंग सुविधा

घ) संयुक्त खाते पर जोर दिए बिना, लॉकर सुविधा, उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो एकल हैं या जिनके पति या पत्नी दृष्टिहीन विकलांग और बच्चे नाबालिग हैं।

ङ) रीटेल ऋण।

च) क्रेडिट कार्ड आदि बिना किसी भेदभाव के दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों को ऑफर किए जाएंगे

i) दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों की अनपढ़ ग्राहकों के साथ समानता नहीं की जाएगी।

ii) दृष्टिहीन विकलांग व्यक्ति जो खाते के परिचालन में अपने अंगूठे के निशान का प्रयोग करते हैं, उनको किसी भी प्रकार की बैंकिंग सुविधा के लिए मना नहीं किया जाएगा।

iii) आम तौर पर दृष्टिहीन विकलांग व्यक्ति एकल और संयुक्त खाता खोलने के योग्य हैं। हालांकि, दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों को किसी भी व्यक्ति के साथ और किसी व्यक्ति की उपस्थिति में बैंक खाता संयुक्त रूप से परिचालित करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

iv) सभी शाखाएं, विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगी।

v) नकद निकासी के लिए, दृष्टिहीन विकलांग व्यक्ति, बैंक अधिकारियों के सामने स्वयं मौजूद होना चाहिए जो उसको चेक निकासी पर्ची आदि भरने में सहायता करता है

vi) जबकि नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अभिभावक की नियुक्ति के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, बैंक अपने विवेक पर नेत्रहीन खाता धारक की ओर से खाते को परिचालित करने के लिए उचित ढंग से गठित अटॉर्नी को अनुमति दे सकता है, हालांकि, जहां बैंक गुण दोष के आधार पर संतुष्ट हो जाता है कि नेत्रहीन व्यक्ति का अगला परिजन उसके खाते को परिचालित कर सकता है, जिसके पास उचित पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा विधिवत अधिकृत अटॉर्नी का पत्र हो।

vii) बैंक को कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए ताकि न तो बैंक खुद धोखा खाए और न ही नेत्रहीन ग्राहक को दूसरों द्वारा धोखा दिया जा सके। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बैंक उसे खाते का परिचालन करने से पहले व्यापार के नियमों, उसमें शामिल स्पष्ट जोखिम और सावधानियों से परिचित करवा दे।

ऐसे ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त सावधानियां ली जाएं-

क) खाता धारकों से लिखवा लेना कि उन्होंने अच्छी तरह से अपने अधिकारों और देनदारियों के बारे पढ़ लिया है। इसके अलावा, तथ्य यह है कि उसे समझाया गया है कि उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में शामिल जोखिम, सामान्य ग्राहक की तुलना में उसके लिए अधिक हैं।

ख) ऐसे ग्राहक, जो एटीएम ऑपरेट कर सकते हैं, उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ग) ऐसे किसी भी खाता धारक द्वारा दिए गए निर्देशों में संशोधन/परिवर्तन उसकी वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही प्रभावित किया जा सकता है।

घ) इस तरह के खातों में किसी भी असामान्य लेन - देन की सावधानी से जाँच की जानी चाहिए।

बैंक खाते का खोलना

क) एक नेत्रहीन व्यक्ति का खाता खोलने के लिए और किसी अन्य ग्राहक का खाता खोलने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं होगा।

ख) बैंक नेत्रहीन ग्राहकों को उनकी अपनी इच्छा से दूसरे नेत्रहीन व्यक्तियों के साथ खाता खोलने की अनुमति दे सकता है। खाता ऐसे व्यक्तियों द्वारा एकल भी खोला जा सकता है।

ग) नेत्रहीन ग्राहक और भावी ग्राहक का खाता खोलने से पहले उन्हें उनके अधिकारों और देनदारियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।

घ) एक नेत्रहीन ग्राहक के प्रलेखन आवश्यकताएं किसी अन्य ग्राहक के रूप में ही होना चाहिए।

ङ) खाते पर स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए कि खाताधारक नेत्रहीन।

नकद की निकासी/चेक बुक सुविधा

क) नकद भुगतान और नकद निकासी जैसी सुविधाएं सभी ग्राहकों को प्रदान की गई हैं वैसी ही सुविधाएं नेत्रहीन विकलांगो को भी देनी चाहिए।

ख) जब एक नेत्रहीन ग्राहक शाखा में नकद निकासी करता है तो भुगतान शाखा के अन्य कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। किसी बाहरी गवाह की उपस्थिति तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक नेत्रहीन ग्राहक अनुरोध नहीं करता है।

ग) परिचालन स्व - निकासी तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

घ) दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों को चेक बुक की सुविधा के लिए मना नहीं किया जा सकता।

ङ) नेत्रहीन ग्राहकों द्वारा इस तरह के चेक बुक के इस्तेमाल से संबंधित सभी प्रक्रियाएं अन्य ग्राहकों की तरह ही होनी चाहिए।

च) दृष्टिहीन विकलांग व्यक्ति द्वारा तीसरे पक्ष को जारी किए गए चेक को सकारा जाएगा यदि अन्यथा सही है।

लॉकर्स

i) दृष्टिहीन विकलांग ग्राहकों के अनुरोध पर लॉकर सुविधा प्रदान की जाती है।

ii) उपयुक्त और सुविधाजनक स्थान पर स्थित लॉकर, दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए जाने चाहिए।

iii) एक नेत्रहीन ग्राहक को लॉकर जारी करने की प्रक्रिया, सामान्य सुरक्षा उपायों के साथ, किसी अन्य ग्राहक के तरीके से ही होनी चाहिए।

iv) दृष्टिहीन विकलांग ग्राहकों को लॉकर ऑपरेट करने के लिए निम्नलिखित विकल्प दिए जाने चाहिए :-

क) परिचालन अकेले

ख) परिचालन- आवेदक की पसंद के अनुसार एक विश्वसनीय व्यक्ति की सहायता के साथ अकेले।

ग) परिचालन-संयुक्त रूप से

v) शाखाएं दृष्टिहीन विकलांग व्यक्तियों के इस अनुरोध को स्वीकार करें कि लॉकर प्रभारी की उपस्थिति में खोला जाए और वह यह जाँच करें कि कुछ पीछे छूटा तो नहीं या फिर नीचे तो नहीं गिरा इसके बाद ही लॉकर बंद करें।

i) **ऋण**

क) जैसे कि ऋण दूसरे व्यक्तियों को उपलब्ध। कराए जाते हैं वैसे ही दृष्टिहीन विकलांग ग्राहकों को उपलब्धि कराए जाने चाहिए और उनकी दृष्टिहीनता उनकी ऋण स्वीकृति में बाधक नहीं होनी चाहिए।

ख) ब्याज भुगतान, संपार्श्विक और अन्य शर्तों का कोई अतिरिक्त बोझ दृष्टिहीन विकलांग ग्राहकों पर नहीं लगाया जाना चाहिए।

v) एटीएम/डेबिट कार्ड

i) दृष्टिहीन विकलांग ग्राहक को एटीएम सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ii) शाखाओं को यह भी सुनिश्चित करना है कि एटीएम अन्य श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों जैसे कि अस्थि अक्षमों के लिए भी सुलभ हैं।

डी) पागलों के खाते

i) बैंक अपने विवेक पर पागल व्यक्ति का जमा खाता (चालू खाते को छोड़कर) खोल सकता है, परन्तु उस खाते का परिचालन अभिभावक, समिति या सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त एक रिसीवर के द्वारा ही किया जाएगा।

ii) यदि ग्राहक अस्थायी मानसिक विशृंखलता से पीड़ित है,तो बैंक के लिए उसके कई कानूनी अधिकारों में छूट देना (चेक करना) असमान्य नहीं है,और बैंक सांविधिक घोषणा के रूप में दो चिकित्सको से प्रमाण पत्र ले कर ग्राहक की पत्नी ध्पति या रिश्तेदार को खाते का परिचालन करने की अनुमति देता है बशर्ते ग्राहक ठीक होने के बाद अपनी बिमारी के दौरान हुए लेन-देन के संबंध में कोई क्लेम न करे इस क्षतिपूर्ति के लिए बैंक सुरक्षात्मक उपाय करेगा ताकि प्रत्येक मामले के गुणदोष से संतुष्ट होते हुए क्षतिपूर्ति बॉड प्राप्त करने के लिए बैंक अपने विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है।

ई) बीमार/बूढ़े/अक्षम व्यक्तियों के खाते

बीमार/बूढ़े/अक्षम खाता धारकों के मामले निम्नलिखित श्रेणियों में आते है : -

क) खाता धारक जो बहुत बीमार है और चेक पर हस्ताक्षर करने योग्य नहीं है,/ अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए शारीरिक रूप से बैंक में उपस्थित नहीं हो सकता परन्तु वह चेक/ निकासी फॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है।

ख) खाता धारक जो न केवल शारीरिक रूप से बैंक में उपस्थित होने में असमर्थ ही नहीं है, किंतु चेक/निकासी फॉर्म पर किसी शारीरिक अक्षमता के कारण भी अंगूठे का निशान लगाने में भी सक्षम नहीं है।

i) परिचालन क्रिया विधि

इस विचार के साथ कि बीमार/बूढ़े/अक्षम खाता धारक अपने खाते का परिचालन कर पाएँ, इसलिए बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया अपना सकता है।

क) बीमार/बूढ़े/ अक्षम खाता धारक के अंगूठे या पैर के अंगूठे की छाप प्राप्त की जाए, इसकी पहचान, दो स्वतंत्र गवाहों, जो

बैंक को जानते हों और जिन में से एक बैंक का एक जिम्मेदार अधिकारी हो, द्वारा की जानी चाहिए।

ख) जहां ग्राहक अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता और बैंक में स्वयं उपस्थित भी नहीं हो सकता, चेक/निकासी पर्ची पर एक निशान (मार्क) प्राप्त कर लेना चाहिए है, जिसकी पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए जिनमें से एक बैंक का जिम्मेदार अधिकारी होना चाहिए।

ग) संबंधित ग्राहक से बैंक यह भी दर्शाने के लिए कहे कि उपयुक्तानुसार प्राप्त चेक/आहरण पर्ची के आधार पर बैंक से राशि कौन आहरित करेगा तथा उस व्यक्ति की दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचान की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से वास्तव में राशि आहरित करेगा उसके हस्ताक्षर बैंक को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

आईबीए की राय, उस व्यक्ति के मामले में जो दोनों हाथों की कमी के कारण हस्ताक्षर नहीं कर सकते

दोनों हाथ गंवा देने के कारण चेक/आहरण पर्ची पर हस्ताक्षर न कर सकने वाले व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के प्रश्न पर भारतीय बैंक संघ ने अपने परामर्शदाता से निम्नानुसार राय प्राप्त की है- 'जनरल क्लॉजिस एक्ट' के अनुसार जो व्यक्ति अपना नाम नहीं लिख सकता, उसके संदर्भ में 'हस्ताक्षर' शब्द उसके व्याकरणिक रूप और उससे संबद्ध अभिव्यक्तियों के अंतर्गत, चिह्न उसके व्याकरणिक रूप और उससे संबद्ध अभिव्यक्तियों शामिल होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में (एआइआर 1959- सर्वोच्च न्यायालय, 265) यह निर्धारित किया है कि जिस व्यक्ति ने हस्ताक्षर करना है, उस व्यक्ति और हस्ताक्षर के बीच शारीरिक संपर्क होना जरूरी है और हस्ताक्षर किसी चिह्न के रूप में हो सकता है। उस व्यक्ति द्वारा यह चिह्न किसी भी तरीके से लगाया जा सकता है। यह चिह्न पैर के अंगूठे के निशान के रूप में हो सकता है, जैसे कि सुझाव दिया गया है। यह एक ऐसे चिह्न के रूप में हो सकता है, जिसे जिस व्यक्ति को हस्ताक्षर करना है, उस व्यक्ति की ओर से कोई भी लगा सकता है, तथा चिह्न एक ऐसे साधारण उपकरण के जरिए लगाया जा सकता है जिसका उस व्यक्ति से शारीरिक संपर्क हो जिसे हस्ताक्षर करना है।

एफ) ऑटिज्म,सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता(मेंटली रिटार्डेशन) और बहु विकलांगता (मल्टीपल डिसएबिलिटी)वाले व्यक्तियों के खाते-

बैंक अपने विवेक से स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के जमा खाते(चालू खातों के अलावा) खोल सकता है, परन्तु इन खातों का परिचालन केवल कानूनी अभिभावक द्वारा परिचालित किया जाएगा जब तक वह कानूनी अभिभावक रहता है।

शाखाएं खाता खोलने एवंउनके परिचालन के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय द्वारा अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तरीय समितियों द्वारा जारी किए गए कानूनी संरक्षकता प्रमाण पत्र पर निर्भर करेंगी

शाखाओं को यह सलाह दी जाती है कि वे भावी ग्राहकों का उचित मार्गदर्शन दें ताकि विकलांग व्यक्तियों के माता- पिता/ रिश्तेदारों को इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े

नेशनल ट्रस्ट फॉर वैलफेयर ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पालसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसएबिलिटी एक्ट 1999 के अंतर्गत स्थापित स्थानीय समितियों संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना।

शाखाओं को सलाह दी जाती है कि शाखा में एक विशिष्ट स्थान पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित करें -

i) (मानसिक विकलांगता अधिनियम) के तहत सुविधाओं के बारे में आवश्यक जानकारी।

ii) यह तथ्य कि पार्टियां, प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तरीय समितियों से संपर्क कर सकती हैं और यह कि मानसिक विकलांगता अधिनियम के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार्य हैं : और

iii) उस क्षेत्र में स्थानीय स्तरीय समितियों का विवरण। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऊपर दी गई जानकारी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी/हिंदी (या दोनों) में प्रदर्शित करी जाए। शाखाओं को न्यायालय के इस आदेश का कड़ाई के साथ पालन करने की सलाह दी जाती है।

(पूर्व वरिष्ठ प्रबंधक)

आपकी कलम से....

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की त्रैमासिक पत्रिका ''राजभाषा अंकुर'' का मार्च 2017 का सीमावर्ती क्षेत्र विशेषांक प्राप्त हुआ।

सच में! इस अंक की रचनाएं तो दिल को छू गईं और सारा इतिहास एक चलचित्र की भांति आँखों के सामने चलने लगा। बेवली जी द्वारा लिखा गया लेख त्रासदी..... मेरे परिवार की अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है। किस प्रकार सामना किया होगा परिवार ने इस दु:खदायी घटना का, इस बात का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके अतिरिक्त अन्य सीमावर्ती लेख जैसे 'सीमावर्ती क्षेत्र : आर. एस. पुरा', 'जम्मड़ां वाली गड्डी', 'सिरोई लिली', 'सदा-ए-सरहद' आदि अत्यंत रोचक एवं प्रेरक है। खाना थोंगनम, अधिकारी शाखा इंफाल द्वारा लिखा गया मणिपुरी लेख एवं इसका हिंदी रूपांतर ईमा कथिथल अत्यंत रोचक रहा। इसके साथ ही काव्य मंजूषा, कहानी, कार्टून तथा अन्य लेखादि ने भी पत्रिका को रुचिकर बनाया है।

पत्रिका के इस सुंदर व संग्रहणीय अंक के प्रकाशन का श्रेय समस्त संपादक मंडल को जाता है। जिनके अथक प्रयासों से इस बेहतरीन अंक का प्रकाशन संभव हो पाया। अत: संपादक मंडल के सभी सदस्यों को हम हार्दिक बधाई देते हैं।

पत्रिका के उज्ज्वल भविष्य के लिए अनेकानेक शुभकामनाएँ।

दलजीत सिंह ग्रोवर
उप महाप्रबंधक
आंचलिक कार्यालय, अमृतसर

महोदय, हमें 'अंकुर' पत्रिका का मार्च 2017 का अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका खूबसूरत होने के साथ-साथ ज्ञानवर्धक भी है। इतनी सुंदर पत्रिका के लिए आप बधाई के पात्र हैं। पत्रिका में लगभग सभी विषयों को स्थान मिला है। आपका प्रयास सराहनीय है इस पत्रिका की सरिता निरंतर चलती रहे, कोई भी रुकावट इसके सामने न आए, यही शुभ कामनाएँ हैं।

डी. कण्णन
आंचलिक प्रबंधक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, चेन्नई

आपके बैंक द्वारा प्रकाशित हिंदी पत्रिका 'अंकुर' का मार्च 2017 अंक हमें सधन्यवाद प्राप्त हुआ।

'सीमावर्ती क्षेत्रों' पर केंद्रित यह अंक अत्यंत रोचक है। सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े सभी आयामों को शामिल कर, आपने पत्रिका को संपूर्णता प्रदान की है। उच्च प्रबंधन द्वारा दिए गए संदेश प्रेरक हैं। 'सात बहनों की दास्तां', 'खासी जनजाति', 'लोगों की आस्था व सीमा का बंधन' तथा 'संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन और बैंक' लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक व दिलचस्प लगे। अमित शुक्ला की कविता 'माँ' हृदय को छू गई। पत्रिका में प्रदर्शित विभिन्न छायाचित्रों से बैंक की संपूर्ण गतिविधियों तथा उपलब्धियों का अवलोकन होता है। विभिन्न शाखाओं तथा कार्यालयों के रचनाकारों की सहभागिता से पत्रिका और भी जीवंत हो उठी है। प्रारंभ से लेकर अंत तक पत्रिका एक प्रेरक प्रस्तुति बनी हुई है, जो संपादक मण्डल द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों का दर्पण है। एक सार्थ प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई।

राजेश कुमार
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

मार्च 2017 का 'अंकुर' (सीमावर्ती क्षेत्र विशेषांक) प्राप्त हुआ। धन्यवाद।अंकुर का ये विशेषांक सचमुच में विशेष है, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई। भिन्न लेखकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ खास पहलुओं का बारीकी से वर्णन कर, उनके दर्शन करवा दिए। ऐसा लगा जैसे सभी कुछ प्रत्यक्ष आंखों के सामने आ गया हो।

श्री गजेन्द्र सिंह बेवली का 'त्रासदी मेरे परिवार की' ने हृदय को झकझोर दिया। बँटवारे के समय के हिंदू-मुसलमान संबंध किसे नहीं पता। लेकिन जो पता नहीं वो है किस पर क्या बीती, कैसे बीती और किस हद तक बीती। मूल कारण कुछ भी हो, मनुष्य किस हद तक दरिंदा बन सकता है, बेवली जी की कलम ने भली भांति दर्शा दिया। ऐसे ही निखिल कुमार शर्मा जी का 'जम्मड़ां वाली गड्डी' और प्राणनाथ जी का लेख 'उंग' भावुक कर गए। अन्य लेख, कविताएं और फोटोग्राफ भी सराहनीय हैं। आशा करता हूं 'अंकुर' और भी ऊँचाइयों पर पहुँचेगी। धन्यवाद।

उपदेश सिंह सचदेवा
पूर्व सहायक महाप्रबंधक